उत्तरांचल शासन

औद्योगिक विकास विभाग

संख्या : 1187 /औ०वि०/2001-2219/2001

सचिवालय, देहरादून दिनांक 30 अप्रैल-2001

अधिसूचना

चूँकि उत्तर प्रदेश उप-खनिज (परिहार) नियमावली-1963 उत्तर प्रदेश पुर्नगठन अधिनियम -2000 की धारा-86 के अधीन उत्तरांचल राज्य में लागू है। अतः अब उत्तर प्रदेश पुर्नगठन अधिनियम-2000 (अधिनि संख्या-29 सन् 2000) की धारा-87 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए महामहिम श्री राज्यपाल उत्तरांचल सहर्ष निर्देश देते हैं कि उत्तर प्रदेश उप-खनिज (परिहार) नियमावली-1963 उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित् प्राविधानों के अधीन अध्यधीन लागू रहेगा :-

उत्तरांचल उप-खनिज (परिहार) नियमावली-2001 (अनुकूलन एवं उपान्तरण) आदेश-2001

---

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ

(1) यह आदेश उत्तरांचल उप-खनिज (परिहार) नियमावली-2001 अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2001 कहलायेगा।

(2) यह तत्काल लागू होगा।

2. उत्तर प्रदेश के स्थान पर उत्तरांचल पढ़ा जाना :

उत्तर प्रदेश उप-खनिज (परिहार) नियमावली-1963 में जहाँ-जहाँ शब्द "उत्तर प्रदेश" आया है, वहाँ शब्द "उत्तरांचल" के रूप में पढ़ा जायेगा।

3. उपरोक्तानुसार प्रख्यापित उत्तरांचल उप-खनिज (परिहार) नियमावली-2001 के नियम-1 में उपधारा-5 निम्नवत् जोड़ दिया जायेगा :-

" यह नियमावली राज्य-सरकार द्वारा सरकारी विभागों, सरकारी निगमों या कानूनी निगमों से खनन् कार्य को कराने के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी। "

.....2

4. उपरोक्तानुसार प्रख्यापित उत्तरांचल उप खनिज (परिहार) नियमावली-2001 के नियम-3 के उपनियम-2 में कोई से पहले निम्नवत् जोड़ दिया जायेगा :-

"जहाँ पर खनन् कार्य सरकारी विभाग, सरकारी निगमों या कानूनी निगमों द्वारा किया जा रहा हो, को छोड़कर"

आज्ञा से,

एन0एन0 प्रसाद
सचिव ।

पृष्ठांकन संख्या 1187(1)/औ0वि0/2001 तद्दिनांकित :

प्रतिलिपि :

1. अधीक्षक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की जिला-हरिद्वार को सरकारी गजट में प्रकाशनार्थ ।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल ।
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उत्तरांचल ।
4. गार्ड-फाइल ।

आज्ञा से,

(दया राम)
अपर सचिव ।

संख्या 3673 / औ0वि0–1/22–ख टी.सी./2001

प्रेषक,

अपर सचिव,
औद्योगिक विकास विभाग,
उत्तरांचल।

सेवामें,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।

औद्योगिक विकास विभाग–1 देहरादून: दिनांक 20-12-2002

विषय:–उप–खनिजों की रॉयल्टी निर्धारित किये जाने विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश सं0 1031/औ0वि0/2001 दिनांक 30.4.2001 जो उत्तरांचल राज्य खनिज नीति–2001 से सम्बन्धित है तथा जिसके अन्तिम पृष्ठ के प्रस्तर–1 में उप–खनिजों की रॉयल्टी के सम्बन्ध में तत्कालीन प्रचलित दरों में 20 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी किये जाने का निर्णय लिया गया था, के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा विचारोपरान्त दिनांक 28.3.2001 को प्रचलित उप–खनिजों की रॉयल्टी दरों का पुनर्निर्धारण निम्नवत किया जाता है :–

स्तम्भ–1: दिनांक 30.4.2001 के पूर्व प्रचलित दरें, प्रथम अनुसूची (नियम–22)

स्तम्भ–2: एतद्द्वारा दिनांक 30.4.2001 से पुनर्निर्धारित दरें, प्रथम अनुसूची (नियम–22)

खनिज	स्वामित्व (रायल्टी) की दर	खनिज	स्वामित्व (रायल्टी) की दर
1	2	1	2
1. चूना पत्थर	रू0 35.00 प्रति मैट्रिकटन रू0 63.00 प्रति घनमीटर	1. चूना पत्थर	रू0 42.00 प्रति मैट्रिकटन रू0 75.60 प्रति घनमीटर
2. मार्बल या मार्बल चिप्स (संगमरमर)	रू0 50.00 प्रति मैट्रिकटन रू0 90.00 प्रति घनमीटर	2. मार्बल या मार्बलचिप्स (संगमरमर)	रू0 60.00 प्रति मैट्रिकटन रू0 108.00 प्रति घनमीटर
3. ईंट बनाने की मिट्टी	रू0 12.00 प्रति हजार बनी ईंट	3. ईंट बनाने की मिट्टी	रू0 14.40 प्रति हजार बनी ईंट
4. शोरा (साल्ट पीटर)	रू0 0.50 प्रति किग्रा. या रू0 50.00 प्रति कुन्तल	4. शोरा (साल्ट पीटर)	रू0 0.60 प्रति किग्रा. या रू0 60.00 प्रति कुन्तल
6. इमारती पत्थर (बिल्डिंग स्टोन) 1. स्लैब अशलर सहित साईज्ड डायमेंशनल स्टोन (सैंडस्टोन, क्वार्टजाईट) 2. गिट्टी स्टोन व ह्यूमपक्की (सैंडस्टोन, क्वार्टजाईट) 3. खण्डास और बोल्डर्स–	रू0 120.00 प्रति घन मीटर रू0 135.00 प्रति घन मीटर	5. इमारती पत्थर (बिल्डिंग स्टोन) 1. स्लैब अशलर सहित साईज्ड डायमेंशनल स्टोन (सैंडस्टोन, क्वार्टजाईट) 2. गिट्टी स्टोन व ह्यूमपक्की (सैंडस्टोन, क्वार्टजाईट) 3. खण्डास और बोल्डर्स–	रू0 144.00 प्रति घनमीटर रू0 162.00 प्रति घनमीटर

(क)–ग्रेनाइट एवं डोलोस्टोन (25×25×25सेमी.साईज तक) (ख)–सैण्डस्टोन क्वाटरसाईज्ड (25×25×25सेमी.साईज तक) 4. गिट्टी बैलास्ट– (क)–ग्रेनाईट एवं डोलोस्टोन (ख)–सैण्डस्टोन क्वाटरसाईज्ड 5. ग्रेनाईट (साईज्ड डायमेंशनल स्टोन) (क)–1 मीटर या उससे बड़ा (ख)–1 मीटर या उससे छोटा	रू0 25.00 प्रति घन मीटर रू0 20.00 प्रति घन मीटर रू0 30.0 प्रति घन मीटर रू0 23.0 प्रति घन मीटर रू0 600.0 प्रति घनमीटर रू0 400.0 प्रति घनमीटर	(क)–ग्रेनाईट एवं डोलोस्टोन (25×25×25सेमी.साईज तक) (ख)–सैण्डस्टोन क्वाटरसाईज्ड (25×25×25सेमी.साईज तक) 4. गिट्टी बैलास्ट– (क)–ग्रेनाईट एवं डोलोस्टोन (ख)–सैण्डस्टोन क्वाटरसाईज्ड 5. ग्रेनाईट(साईज्ड डाय मेंशनल स्टोन) (क)–1 मीटर या उससे बड़ा (ख)–1 मीटर या उससे छोटा	रू0 30.00 प्रति घनमीटर रू0 24.00 प्रति घनमीटर (क)रू038.00प्रति घनमीटर (ख)रू027.60प्रति घनमीटर रू0 720.0 प्रति घनमीटर रू0 480.0 प्रति घनमीटर
6. मोरम 1. नदी तल में उपलब्ध 2. पहाड़ों के क्षरण के फलस्वरूप उत्पन्न लाल मोरम	रू0 17.0 प्रति घन मीटर रू0 12.0 प्रति घन मीटर	6. मोरम 1. नदी तल में उपलब्ध 2. पहाड़ों के क्षरण के फलस्वरूप उत्पन्न लाल मोरम	रू0 20.40 प्रति घनमीटर रू0 14.40 प्रति घनमीटर
7. विहित प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त होने वाले बालू से भिन्न साधारण बालू 1. प्रथम श्रेणी (अनुसूची 2 में उल्लिखित जनपदों में उपलब्ध बालू) 2. द्वितीय श्रेणी (अनुसूची 2 में उल्लिखित जनपदों में उपलब्ध बालू)	 रू0 15.0 प्रति घन मीटर रू0 10.0 प्रति घन मीटर	7. विहित प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त होने वाले बालू से भिन्न साधारण बालू 1. प्रथम श्रेणी (अनुसूची 2 में उल्लिखित जनपदों में उपलब्ध बालू) 2. द्वितीय श्रेणी (अनुसूची 2 में उल्लिखित जनपदों में उपलब्ध बालू)	 रू0 18.0 प्रति घन मीटर रू0 12.0 प्रति घन मीटर
8. कंकड़	रू0 8.00 प्रति घनमीटर	8. कंकड़	रू0 9.60 प्रति घनमीटर
9. बजरी (सिंगल)	रू0 25.00 प्रति घनमीटर	9. बजरी (सिंगल)	रू0 30.00 प्रति घनमीटर
10. साधारण मिट्टी	रू0 4.00 प्रति घनमीटर	10. साधारण मिट्टी	रू0 4.80 प्रति घनमीटर
11. कोई अन्य उप–खनिज जिनके लिये स्वामित्व की दर निर्धारित नहीं है।	खान पर बिक्री मूल्य का 10 प्रतिशत	11. कोई अन्य उप–खनिज जिनके लिये स्वामित्व की दर निर्धारित नहीं है।	खान पर बिक्री मूल्य का 12 प्रतिशत

स्तम्भ–1

दिनांक 30.4.2001 के पूर्व प्रचलित दरें
द्वितीय अनुसूची (नियम–22)

स्तम्भ– 2

एतद्द्वारा दिनांक 30.4.2001 से पुनर्निधारित दरें
द्वितीय अनुसूची (नियम–22)

उप खनिजों के नाम	जिले/ नदी का नाम	प्रति एकड़ वार्षिक अपरिहार्य भाटक की दर	उप खनिजों के नाम	जिले के नाम	प्रति एकड़ वार्षिक अपरिहार्य भाटक
1	2	3	4	5	6
1–मार्बल और मार्बल चिप्स	देहरादून,अल्मोड़ा,टिहरी गढ़वाल और अन्य जिले यदि कोई हो	3000.00	1–मार्बल और मार्बल चिप्स	उत्तरांचल के सभी जिलो के लिये	3000.00

...पत्थर ...पोर)	देहरादून,अल्मोड़ा,टिहरी गढ़वाल,नैनीताल अन्य जिले यदि कोई हो	3000.00	2—चूना पत्थर (लाइम स्टोन)	उत्तरांचल के सभी जिलों के लिये	3000.00
...इमारती पत्थर ...सैण्ड स्टोन और क्वार्टजाइट	उत्तरांचल के सभी जिले	6000.00	3—इमारती पत्थर (क)सैण्ड स्टोन एवं क्वार्टजाइट	उत्तरांचल के सभी जिले	6000.00
...—ऐसे इमारती पत्थर गिट्टी (बैलास्ट) बजरी ...रि साधारण मिली ...जुली अवस्था में ...दी के तल पर ...लते है।	उत्तरांचल के सभी जिले	बोल्डर 6000.00 बजरी 6000.00 साधारण बालू 3000.00 प्रत्येक खनिज पर अलग दर लगेगी।	4—ऐसे इमारती पत्थर गिट्टी (बैलास्ट)बजरी और साधारण बालू जो मिली जुली अवस्था में नदी के तल पर मिलते है।	उत्तरांचल के समस्त जिले	बोल्डर 6000.00 बजरी 6000.00 साधारण बालू 3000.00 प्रत्येक खनिज पर अलग दर लगेगी।
...मोरम ...क) नदी तल	उत्तरांचल के समस्त जिले	6000.00	5— मोरम (क) नदी तल से	उत्तरांचल के सभी जिले	6000.00
...) पहाड़ों के ...ण के फलस्वरूप ...प्त तल मोरम	उत्तरांचल के समस्त जिले जहाँ उपलब्ध हो	2000.00	(ख) पहाड़ों के क्षरण के फल-स्वरूप प्राप्त तल मोरम	उत्तरांचल के समस्त जिले जहाँ उपलब्ध हो।	2000.00
साधारण मिट्टी	उत्तरांचल में किसी भी स्थान का	1000.00	साधारण मृदा (आर्डिनरी क्ले) अथवा साधारण मिट्टी (आर्डिनरी अर्थ)	उत्तरांचल के समस्त जिले जहाँ उपलब्ध हो।	1000.00
			7— अन्य उप-खनिज	उत्तरांचल के समस्त जिले जहाँ उपलब्ध हो।	1000.00

...क्त व्यवस्था अग्रिम आदेशों तक यथावत लागू रहेगी।

भवदीय,

(हस्ताक्षर)

(एस0कृष्णन)

प्रमुख सचिव।

13.7

पृ0सं0 /औ0वि0-1/22-ख.टी.सी./2001 दिनांक: 20-12-2002

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक उद्योग, उद्योग निदेशालय, देहरादून।
2. प्रभारी अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, देहरादून।
3. समस्त औद्योगिक संगठन, उत्तरांचल।
4. समस्त सरकारी निगम, उत्तरांचल।
5. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को आगामी बजट में प्रकाशनार्थ।

आज्ञा से,

(पुनीत कंसल)
अपर सचिव।

पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2009–11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–10] रुड़की, शनिवार, दिनांक 31 अक्टूबर, 2009 ई0 (कार्तिक 09, 1931 शक सम्वत्) [संख्या–44

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	423–434	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	319–324	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत शासन विभाग का क्रोड–पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड – ...	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	–	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़ पत्र आदि ...	–	1425

औद्योगिक विकास अनुभाग–2

अधिसूचना

05 अक्टूबर, 2009 ई०

संख्या 2390/VII-2-09/24-ख/2007—राज्यपाल, खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 (अधिनियम संख्या 67, सन् 1957) की धारा 15 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, उत्तराखण्ड [उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली, 1963] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2009

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) नियमावली, 2009 है।

(2) यह 05 अक्टूबर, 2009 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

नियम 21 की प्रथम अनुसूची का संशोधन

2–उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली, 1963] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001 में, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, नीचे स्तम्भ–1 में दी गई विद्यमान प्रथम अनुसूची के स्थान पर स्तम्भ–2 में दी गयी अनुसूची रख दी जायेगी,

अर्थात् :–

स्तम्भ–1 विद्यमान अनुसूची प्रथम अनुसूची (नियम 21 देखिये)		स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित अनुसूची प्रथम अनुसूची (नियम 21)	
उप खनिज का नाम	वर्तमान में रॉयल्टी की दरें प्रति घनमीटर	उप खनिज का नाम	स्वामित्व (रॉयल्टी) की दरें (रु0 में)
1	2	3	4
1. चूना पत्थर	42.00 75.00	1. चूना पत्थर	55.00 प्रति टन 108.00 प्रति घनमीटर
2. मार्बल या मार्बल चिप्स (संगमरमर)	60.00 108.00	2. मार्बल या मार्बल चिप्स (संगमरमर)	75.00 प्रति टन 135.00 प्रति घनमीटर
3. ईंट बनाने की मिट्टी	14.40 प्रति हजार बनी ईंट	3. ईंट बनाने की मिट्टी	18.00 प्रति हजार बनी ईंट
4. शोरा (साल्ट पीटर)	0.60 प्रति कि0ग्रा0 या 60.00 प्रति कुन्टल	4. शोरा (साल्ट पीटर)	0.80 प्रति किलोग्राम या 60.00 प्रति कुन्टल
5. इमारती पत्थर (बिल्डिंग स्टोन) 1. स्लैब्स अशलर सहित साईज्ड डायमेंशनल स्टोन (सैण्डस्टोन, क्वार्टजाईट साईज्ड)	144.00	5. इमारती पत्थर (बिल्डिंग स्टोन) 1. सभी प्रकार के उप खनिजों से निर्मित (ग्रेनाइट को छोड़कर) स्लैब्स अशलर सहित साईज्ड डायमेंशनल स्टोन (जिसकी कोई भी एक साइड 25 सैमी0 से अधिक हो)	100.00 प्रति टन 180.00 प्रति घनमीटर
2. मिल स्टोन व हथचक्की (सैण्डस्टोन क्वाटर साईज्ड)	162.00	2. मिल स्टोन व हथचक्की (सैण्डस्टोन क्वाटर साईज्ड)	200.00 प्रति घनमीटर
3. खण्डास और बोल्डर्स (क) ग्रेनाईट एवं डोलोस्टोन (25 X 25 X 25 सैमी0 साईज तक)	30.00	6. नदी तल से भिन्न स्थानों से प्राप्त खण्डास/बोल्डर्स (जिसकी कोई भी साइड 25 सेंटीमीटर	22.00 प्रति टन 40.00 प्रति घनमीटर

1	2	3	4
(ख) सैण्डस्टोन क्वाटर (25 X 25 X 25 सेमी० साईज तक)	24.00	से अधिक न हो), बजरी/गिट्टी बैलास्ट सिंगल/पहाड़ों के क्षरण से उत्पन्न मोरम/बालू/गिट्टी	
4. गिट्टी बैलास्ट			
(क) ग्रेनाइट एवं डोलोरस्टोन	36.00	–	–
(ख) सैण्डस्टोन	27.00	–	–
5. मोरम			
1. नदी तल में उपलब्ध	20.40	–	–
2. पहाड़ों के क्षरण के फलस्वरूप उत्पन्न लाल मोरम	14.40	–	–
6. ग्रेनाईट (साईज्ड) डायमेंशनल स्टोन		7. ग्रेनाइट (साईज्ड) डायमेंशनल स्टोन	
(क) 1 मीटर या उससे बड़ा	720.00	(क) 1 मीटर या उससे बड़ा	720.00
(ख) 1 मीटर या उससे छोटा	480.00	(ख) 1 मीटर से छोटा	480.00
7. विहित प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होने वाले बालू से भिन्न साधारण बालू		8. विहित प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होने वाली बालू से भिन्न नदी तल में उपलब्ध साधारण बालू या मोरम या बजरी या बोल्डर या इसमें से कोई भी मिली-जुली अवस्था में हो	25.00 प्रति टन 45.00 प्रति घन मीटर
1. प्रथम श्रेणी (अनुसूची-2 में उल्लिखित जनपदों में उपलब्ध बालू)	18.00		
2. द्वितीय श्रेणी (अनुसूची-2 में उल्लिखित जनपदों में उपलब्ध बालू)	12.00		
8. कंकड़	9.60	9. कंकड़	5.5 प्रति टन 10.00 प्रति घनमीटर
9. बजरी (सिंगल)	30.00	–	
10. साधारण गिट्टी	4.80	10. साधारण गिट्टी	5.56 प्रति टन 8.00 प्रति घनमीटर
11. कोई अन्य उप खनिज जिसके लिए स्वामित्व की दर निर्धारित नहीं है	खान पर बिक्री मूल्य का 12 %	11. कोई अन्य उप खनिज जिसकी लिए स्वामित्व की दर निर्धारित नहीं है	खान पर बिक्री मूल्य का 20 %

द्वितीय अनुसूची का संशोधन

3—उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–1 में दी गयी द्वितीय अनुसूची के स्थान पर स्तम्भ–2 में दी गई अनुसूची रख दी जायेगी,
अर्थात् :—

स्तम्भ–1 विद्यमान अनुसूची द्वितीय अनुसूची (नियम 22)			स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित अनुसूची द्वितीय अनुसूची (नियम 22)	
उप खनिज के नाम	जिले / नदी का नाम	प्रति एकड़ वार्षिक अपरिहार्य भाटक (रु० में)	उप खनिज के नाम	प्रति एकड़ वार्षिक अपरिहार्य भाटक (रु० में)
1. मार्बल और मार्बल चिप्स	उत्तराखण्ड के सभी जिलों के लिए	3000.00	1. मार्बल और मार्बल चिप्स	4000.00
2. चूना पत्थर लाईम स्टोन	उत्तराखण्ड के सभी जिलों के लिए	3000.00	2. चूना पत्थर लाईम स्टोन	4000.00
3. इमारती पत्थर, सैण्ड स्टोन और क्वार्टजाईट	उत्तराखण्ड के सभी जिलों के लिए	6000.00	3. नदी तल से भिन्न स्थान से प्राप्त इमारती पत्थर (बिल्डिंग स्टोन) खण्डास / बोल्डर्स / बजरी / गिट्टी / बैलास्ट / सिंगल / पहाड़ों के क्षरण से उत्पन्न मौरम / बालू / मिट्टी	8000.00
4. ऐसे इमारती पत्थर गिट्टी (बैलास्ट) बजरी और साधारण बालू जो मिली–जुली अवस्था में नदी के तल पर मिलते हैं	उत्तराखण्ड के सभी जिलों के लिए	बोल्डर 6000.00, बजरी 6000.00 साधारण बालू, 3000.00 प्रत्येक खनिज पर अलग दर लगेगी	4. नदी तल में उपलब्ध साधारण बालू या मौरम या बजरी या बोल्डर या इनमें से कोई भी मिली जुली अवस्था में हो	20,000.00
5. मौरम (क) नदी तल में (ख) पहाड़ों के क्षरण के फलस्वरूप जमा तल मौरम	उत्तराखण्ड के सभी जिलों के लिए	6000.00 3000.00	—	—
6. साधारण मृदा (ऑर्डिनरी क्ले) अथवा साधारण मिट्टी (ऑर्डिनरी अर्थ)	उत्तराखण्ड के सभी जिलों के लिए	1000.00	5. साधारण मृदा (ऑर्डिनरी क्ले) अथवा साधारण मिट्टी (ऑर्डिनरी अर्थ)	1500.00

आज्ञा से,

पी०सी० शर्मा
प्रमुख सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग-2
संख्या 3257/VII-II/22-ख/01/2011
देहरादून दिनांक: 23, दिसम्बर, 2011

<u>अधिसूचना</u>

दिनांक 30.04.2001 के क्रम में उत्तराखण्ड
अधिसूचना संख्या 1187/औ0वि0/2001-22ख/2001 उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली-2001
राज्य में खनिज विकास को प्रोत्साहित किये जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-
में निम्नवत संशोधन किये जाने की

उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली (यथासंशोधित/परिवर्द्धित) 2011

उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली-2001 में निम्नानुसार स्तम्भ-1 में दिये गये वर्तमान नियम/उपनियम के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम/उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात-

स्तम्भ-1 वर्तमान नियम/प्राविधान	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम/प्राविधान
नियम-3- खनन संक्रियायें, खनन पट्टे या खनन अनुज्ञा पत्र के अधीन होगी-	नियम-3- खनन संक्रियायें, खनन पट्टे या खनन अनुज्ञा पत्र के अधीन होगी- (अतिरिक्त प्राविधान) "(3)ऐसे उपखनिज क्षेत्र जिसमें निगमों के द्वारा उपखनिज का चुगान कार्य करने में असमर्थता व्यक्त की जाती है या ऐसे क्षेत्र जिनमें उपलब्ध खनिजों की पूर्ण क्षमता का दोहन करने में अक्षम पाये जाते है या ऐसे क्षेत्र जो निगमों के द्वारा रिक्त छोड दिये जाते है, को नियमानुसार टेण्डर प्रकिया के माध्यम से उत्तराखण्ड राज्य विपणन संघ/श्रम संविदा समितियों/कॉपरेटिव सोसाइटियों/संस्थाओं एवं निजी व्यक्तियों को पॉच वर्ष की अवधि के लिए खनन पट्टे स्वीकृत किये जायेंगे।
नियम-6-खनन पट्टा दिये जाने के लिए प्रार्थना पत्र शुल्क और जमा- (1)(क) : एक हजार रूपये का शुल्क	नियम-6-खनन पट्टा दिये जाने के लिए प्रार्थना पत्र शुल्क और जमा- (1)(क) : तीन हजार रूपये का शुल्क
नियम-9-कतिपय व्यक्तियों के अधिमानी अधिकार (1) जहां दो या दो से अधिक व्यक्तियों ने एक ही भूमि के संबन्ध में खनन पट्टे के लिए आवेदन किया हो वहां उस प्रार्थी को जिसका प्रार्थना पत्र अपेक्षाकृत पहले प्राप्त	नियम-9-कतिपय व्यक्तियों के अधिमानी अधिकार (1) ऐसे खनन क्षेत्र जो राज्य सरकार द्वारा चिन्हीकरण कर विज्ञापित किया गया है वहां ऐसे समस्त आवेदन पत्र जो विज्ञप्ति में निर्धारित तिथि के अन्तर्गत प्राप्त हुए है, को नियम-9 के अन्तर्गत

-2

हुआ हो, उस आवेदक के, जिसका प्रार्थना पत्र बाद में प्राप्त हुआ है, ऊपर पट्टा दिये जाने का अधिमानी अधिकार होगा।

प्रतिबन्ध यह है कि जहां ऐसे प्रार्थना पत्र एक ही दिन प्राप्त हुए हो, वहां राज्य सरकार उपनियम–(2) में विनिर्दिष्ट बातो पर विचार करने के पश्चात खनन पट्टा प्राथियों में से किसी एक ऐसे प्रार्थी को दे सकती है जो वह उचित समझे

उपनियम–(2) उपनियम(1) में अभिदिष्ट बातें :–(क) प्रार्थी का खनन संक्रियाओं में विशिष्ट ज्ञान अथवा अनुभव

(ख) प्रार्थी के वित्तीय संशोधन

खनन पट्टा के अधिमानी अधिकार हेतु एक ही दिन व समय में प्राप्त हुआ माना जायेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि जहां ऐसे प्रार्थना पत्र एक ही दिन प्राप्त हुए हो, वहां राज्य सरकार उपनियम–(2) में विनिर्दिष्ट बातो पर विचार करने के पश्चात खनन पट्टा प्राथियों में से किसी एक ऐसे प्रार्थी को दे सकती है जो वह उचित समझे

उपनियम–(2) उपनियम(1) में अभिदिष्ट बातें :–(क) भू–स्वामी है या भूस्वामी द्वारा सहमति प्राप्त आवेदक को छोडकर अन्य आवेदक हेतु खनन संक्रियाओं में विशिष्ट ज्ञान अथवा अनुभव।

(ख) भू–स्वामी है या भूस्वामी द्वारा सहमति प्राप्त आवेदक को छोडकर अन्य आवेदक हेतु वित्तीय संशाधन उस खनन पट्टा क्षेत्र पर निर्धारित अपरिहार्य भाटक के दोगुना से कम नहीं होना चाहिए।

9–(क) बालू आदि के संबंध में कतिपय व्यक्तियों के अधिमानी अधिकार

(1) नियम 9 में किसी बात के होते हुए भी, नदी तल में अनन्य रूप से पायी जाने वाली बालू या मोरंग या बजरी या बोल्डर या इनमें से कोई भी मिलीजुली अवस्था में हो, के लिये खनन पट्टे के संबंध में किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को चाहें वह निगमित हो अथवा नहीं, निम्न लिखित क्रम में अधिमान दिया जायेगा।

(क) जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से नागरिकों के पिछड़े वर्गों के हों, और वृति के रूप में बालू या मोरंग के उत्खनन कार्य में लगे हो, और उसी जिले के निवासी हो, जिसमें वह क्षेत्र, जिसके लिये पट्टे का आवेदन किया गया है, स्थित हो।

(ख) जिन्होंने राज्य में उपर्युक्त उप खनिज पर आधारित उद्योग स्थापित किया हो या स्थापित करने का इरादा रखते हों।

9–(क) निम्नानुसार प्रतिस्थापित

राज्य के स्थायी निवासी, तथा खनिज पर आधारित उद्योग यथा स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट स्वामी अथवा स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट स्थापित करने वाले व्यक्ति जो उत्तराखण्ड राज्य का स्थायी निवासी हो को खनन पट्टा दिये जाने हेतु प्राथमिकता दी जायेगी तथा किसी भी व्यक्ति/संस्था को एक से अधिक पट्टा स्वीकृत नही किया जायेगा ।

स्पष्टीकरण– खण्ड (क) के प्रयोजनों के लिये नागरिकों के सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के ऐसे नागरिक जो वृत्ति के रूप में बालू या मोरंग के उत्खनन कार्य में लगे व्यक्तियों का तात्पर्य मल्लाह, केवट, बिन्द, निषाद, मांझी, बाथम, धीवर, धीमर, चाई, सोरहिया, तुरहा, रैकवार, केवर्त, खुलवट, तियार, गौड़िया, गौड़िया और कश्यप से है और इसमें ऐसे व्यक्ति भी सम्मिलित होंगे जिन्हें राज्य सरकार द्वारा इस रूप में सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा विशिष्टत किया जाय।

(2) जहां उप नियम(1) में विनिर्दिष्ट कोटि के दो या दो से अधिक व्यक्तियों या व्यक्तियों के निकाय ने एकही भूमि के संबंध में खनन पट्टे के लिये आवेदन किया हो, वहां उस प्रार्थी का, जिसका प्रार्थना पत्र अपेक्षाकृत पहले प्राप्त हुआ हो, अधिमानी अधिकार होगा।

प्रतिबन्ध यह है कि जहां ऐसे प्रार्थना पत्र एक ही दिन प्राप्त हुये हों, वहां अधिमान का विनिश्चय लाट निकाल कर किया जायेगा।

नियम–10 : अधिकतम क्षेत्र जिसके लिए खनन पट्टा दिया जा सकता है:–

कोई व्यक्ति किसी उपखनिज के सम्बन्ध में, एक या एक से अधिक ऐसे खनन पट्टे अर्जित ना करेगा जिन के अन्तर्गत कुल क्षेत्र तीस एकड़ से अधिक हो

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार की यह राय हो कि खनिज विकास के हित में, ऐसा करना आवश्यक है तो वह उन कारणों से अभिलिखित किये जायेंगे, किसी व्यक्ति को एक या एक से अधिक खनन पट्टे जिनके अन्तर्गत उपर्युक्त अधिकतम तीस एकड़ से अधिक का क्षेत्र हो अर्जित करने की अनुमति दे सकती है।

नियम–12 खनन पट्टे की अवधि–(1) उपनियम (2) में की गयी व्यवस्था के अधीन

नियम–10 : अधिकतम क्षेत्र जिसके लिए खनन पट्टा दिया जा सकता है:–

किसी भी व्यक्ति/संस्था को पाँच हैक्टेयर से अधिक के खनन पट्टे तथा किसी भी व्यक्ति/संस्था को एक से अधिक खनन पट्टा स्वीकृत नही किया जायेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार की यह राय हो कि खनिज विकास के हित में, ऐसा करना आवश्यक है तो वह उन कारणो से जो अभिलिखित किये जायेंगे, किसी व्यक्ति को एक या एक से अधिक खनन पट्टे जिनके अन्तर्गत उपर्युक्त अधिकतम पाँच हैक्टेयर से अधिक का क्षेत्र हो अर्जित करने की अनुमति दे सकती है।

नियम–12 खनन पट्टे की अवधि:–(1) उपनियम (2) में की गयी व्यवस्था के अधीन रहते हुए, वह

रहते हुए, वह अवधि जिसके लिए खनन पट्टा दिया जा सकता है, दस वर्ष से अधिक न होगी।

(2) यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि खनिज विकास के हित में ऐसा करना आवश्यक है तो वह उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, किसी अवधि के लिए खनन पट्टे दे सकती है, जो दस वर्ष से अधिक हो किन्तु पन्द्रह वर्ष से अधिक न हो।

नियम–14 पट्टाविलेख तीन मास के भीतर निष्पादित किया जायेगा।

उपनियम–(2)– उपनियम–(1) में विनिर्दिष्ट खनन पट्टे के प्रारम्भ होने का दिनांक वह दिनांक होगा जब उक्त उपनियम के अधीन विलेख निष्पादित किया जाय।

उपनियम–(4)– उपनियम–(3) में विनिर्दिष्ट खनन पट्टे के प्रारम्भ होने का दिनांक वह दिनांक उक्त उपनियम के अधीन विलेख निष्पादित किये जाने का दिनांक या वास्तविक रूप से खनन संक्रियां प्रारम्भ किये जाने का दिनांक, इनमें जो भी पहले हो, होगा।

अवधि जिसके लिए खनन पट्टा दिया जा सकता है, पाँच वर्ष से अधिक न होगी।

(2) यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि खनिज विकास के हित में ऐसा करना आवश्यक है तो वह उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, किसी अवधि के लिए खनन पट्टे दे सकती है, जो पाँच वर्ष से अधिक हो किन्तु दस वर्ष से अधिक न हो।

नियम–14 पट्टाविलेख/एम0ओ0यू0 तीन मास के भीतर निष्पादित एवं पंजीकृत किया जायेगा।

उपनियम–(2)– उपनियम–(1) में विनिर्दिष्ट खनन पट्टे के प्रारम्भ होने का दिनांक वह दिनांक होगा जब उक्त उपनियम के अधीन निष्पादित विलेख का पंजीकरण उप निबंधक द्वारा किया जाय।

उपनियम–(4)– उपनियम–(3) में विनिर्दिष्ट खनन पट्टे के प्रारम्भ होने का दिनांक वह दिनांक उक्त उपनियम के अधीन विलेख निष्पादन के उपरान्त उपनिबंधक द्वारा पंजीकरण किये जाने का दिनांक होगा।

(अतिरिक्त प्राविधान)

उपनियम–(6) मा0 उच्चतम न्यायालय से एन0पी0वी0 मुक्त निगम/संस्था खनन/चुगान प्रारम्भ करने से पूर्व निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग से समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करते हुए निर्धारित प्रपत्र पर एम0ओ0यू0 तीन माह के अन्तर्गत हस्ताक्षरित करेंगे। तथा एम0ओ0यू0 हस्ताक्षर करने के उपरान्त निदेशक द्वारा निर्गत अनुमति के पश्चात ही उपखनिज के चुगान / खनन कार्य प्रारम्भ करेंगे।

नियम–17 पट्टे पर दिये गये क्षेत्र का सर्वेक्षण–(1) जब खनन पट्टा दिया जाये तो निदेशक द्वारा पट्टे पर दिये गये क्षेत्र के सर्वेक्षण और सीमांकन का प्रबन्ध किया जायेगा जिसके लिए पट्टेदार से निम्नलिखित दर से प्रभार लिया जायेगा–	नियम–17 पट्टे पर दिये गये क्षेत्र का सर्वेक्षण:–(1) जब खनन पट्टा दिया जाये तो निदेशक द्वारा पट्टे पर दिये गये क्षेत्र के सर्वेक्षण और सीमांकन का प्रबन्ध किया जायेगा जिसके लिए पट्टेदार से निम्नलिखित दर से प्रभार लिया जायेगा–
(क) मैदानी क्षेत्र में :–(एक) 10 हैक्टेयर क्षेत्र के लिए रुपये 1000.00 (दो) 10 है0 से अधिक क्षेत्र के लिए 100.00 रुपये प्रति हैक्टेयर की दर से किन्तु कम से कम रुपये 1200.00 (ख) पर्वतीय क्षेत्र में (एक) 10.00 है0 तक के क्षेत्र के लिए 1600.00 रुपया । (दो) 10.00 है0 से अधिक के क्षेत्र के लिए 160.00 रुपया प्रति हैक्टेयर की दर से किन्तु कम से कम रुपये 2000.00।	राज्य के समस्त खनन पट्टा क्षेत्र में :– (एक) 05 है0 क्षेत्र तक के लिए रुपये 5000.00 (दो) 05 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्र के लिए प्रति हेक्टेयर तक रुपये 1000.00 की दर से अतिरिक्त।
नियम 27 क– निविदा द्वारा पट्टा दिये जाने की प्रकिया– (ख) (एक) (घ) जिलाधिकारी के पक्ष में बयाने के लिए रुपये दो हजार का बैंक ड्राफ्ट।	नियम 27 क– निविदा द्वारा पट्टा दिये जाने की प्रक्रिया– (ख) (एक) (घ) जिलाधिकारी के पक्ष में बयाने के लिए रुपये पाँच हजार का बैंक ड्राफ्ट।
नियम–41 पट्टेदार की स्वतंत्रता अधिकार और विशेषाधिकार के प्रयोग के सम्बन्ध में निर्बन्धन एवं शर्तें– पट्टेदार नियम–40 के उल्लेखित स्वतंत्रता अधिकार और विशेषाधिकार का प्रयोग निम्नलिखित निर्बन्धनों एवं शर्तों के अधीन रहते हुए करेगा।	नियम–41 पट्टेदार की स्वतंत्रता अधिकार और विशेषाधिकार के प्रयोग के सम्बन्ध में निर्बन्धन एवं शर्तें– पट्टेदार नियम–40 में उल्लिखित स्वतंत्रता, अधिकार और विशेषाधिकार का प्रयोग निम्नलिखित निर्बन्धनों एवं शर्तों के अधीन रहते हुए करेगा। (अतिरिक्त प्राविधान) (छ) नदी पुल सुरक्षा हेतु पुल से 100 मीटर अपस्ट्रीम एवं 100 मीटर डाउन स्ट्रीम क्षेत्र को प्रतिबन्धित करते हुए चुगान /खनन कार्य करेगा।

नियम–57 अनधिकृत खनन के लिये शास्तिः

जो कोई भी नियम–3 के उपबन्धों का उल्लघंन करे व दोष सिद्ध हो जाने पर दोनो में से किसी भी प्रकार के कारावास के दण्ड से दण्डनीय होगा, जो छः मास तक हो सकता है अथवा अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा जो एक हजार रूपये तक हो सकता है अथवा दोनो दण्डो से दण्डनीय होगा।

नियम–57 अनधिकृत खनन के लिये शास्तिः

जो कोई भी नियम–3 के उपबन्धों का उल्लघंन करे व दोष सिद्ध हो जाने पर दोनो में से किसी भी प्रकार के कारावास के दण्ड से दण्डनीय होगा, जो छः मास तक हो सकता है अथवा अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा जो पच्चीस हजार रूपये तक हो सकता है अथवा दोनो दण्डो से दण्डनीय होगा। उक्त के अतिरिक्त अवैध उत्खनित खनिज/परिवहन किये जा रहे खनिज/भण्डारित किये जा रहे खनिज की मात्रा पर विक्रय मूल्य की धनराशि आंगणित कर वसूल किया जावेगा।

नियम–70 खनिजों के परिवहन पर निर्बधनः–

नियम–70 खनिजों के परिवहन पर निर्बधनः–

(अतिरिक्त प्राविधान)

(7) खनिज परिवहन किये जाने वाले प्रपत्र एम. एम.–11 एवं प्रपत्र जे सम्बन्धित जनपद के ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी/खान निरीक्षक द्वारा जारी किये जायेंगे।

नियम–72 पुनः स्वीकृति के लिए क्षेत्र की उपलब्धता का अधिसूचित किया जानाः–

(1) यदि कोई क्षेत्र जो अध्याय–2 के अर्न्तगत खनन पट्टा के अधीन धृत था या अधिनियम की धारा–17–क के अधीन आरक्षित था, पुनः खनन पट्टे पर दिये जाने के लिये उपलब्ध हो जाता है तो जिलाधिकारी नोटिस के माध्यम से उस क्षेत्र की उपलब्धता अधिसूचित करेगा जिसमें दिनांक विनिर्दिष्ट करते हुए जो नोटिस के दिनांक से तीस दिन पहले का न होगा और ऐसे क्षेत्र का ब्यौरा होगा। खनन पट्टा दिये जाने के लिए प्रार्थना पत्र आमत्रित करेगा और ऐसी नोटिस की एक प्रति उसके कार्यालय में नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जायेगी और एक–एक प्रति उस क्षेत्र के तहसीलदार और निदेशक को भी भेजी जायेंगी।

नियम–72 खनन पट्टा स्वीकृति एवं पुनः स्वीकृति के लिए क्षेत्र की उपलब्धता का अधिसूचित किया जानाः–

(1) निजी नाप भूमि को छोड़कर यदि कोई क्षेत्र जो अध्याय–2 के अर्न्तगत खनन पट्टा के अधीन धृत था या अधिनियम की धारा–17–क के अधीन आरक्षित था, पुनः खनन पट्टे पर दिये जाने के लिये उपलब्ध हो जाता है तो जिलाधिकारी नोटिस के माध्यम से उस क्षेत्र की उपलब्धता अधिसूचित करेगा जिसमें दिनांक विनिर्दिष्ट करते हुए जो नोटिस के दिनांक से तीस दिन पहले का न होगा और ऐसे क्षेत्र का ब्यौरा होगा। खनन पट्टा दिये जाने के लिए प्रार्थना पत्र आमत्रित करेगा और ऐसी नोटिस की एक प्रति उसके कार्यालय में नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जायेगी और एक–एक प्रति उस क्षेत्र के तहसीलदार और निदेशक को भी भेजी जायेंगी।

(अतिरिक्त प्राविधान)

(4) निजी नाप भूमि मे विज्ञप्तिकरण की कार्यवाही नहीं की जायेगी तथा भूस्वामी अथवा भूस्वामी द्वारा सहमति प्राप्त आवेदक को आवेदन करने पर जिलाधिकारी के माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्रों पर खनन निदेशक की संस्तुति के उपरान्त खनन पटटा राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किये जायेंगे।

(5) निजी नाप भूमि से इतर खनन क्षेत्रों हेतु जिलाधिकारी के द्वारा विज्ञप्तिकरण के उपरान्त प्राप्त आवेदन पत्र निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म को प्रेषित किये जायेंगे। निदेशक की संस्तुति पर खनन पट्टे राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किये जायेंगे।

उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली–2001 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

राकेश शर्मा
(प्रमुख सचिव)

पृष्ठांकन संख्या 3253/VII-II/22-ख/01/2011 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमायूं, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, उद्योग/भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल।
8. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय, देहरादून।
9. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त कार्यालय ज्ञाप को असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुए 100 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(किशन नाथ)
अपर सचिव।

(233)

उत्तराखण्ड शासन।
औद्योगिक विकास अनुभाग–2
संख्याः /62–/VII-II-13/24–ख/2007
देहरादूनः दिनांकः 18 जनवरी, 2013

अधिसूचना

राज्यपाल, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 67 वर्ष 1957) की धारा 15 सपठित उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली, 1963) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैः–

उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2013

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार)(संशोधन) नियमावली, 2013 है।

(2) यह इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

प्रथम अनुसूची का संशोधन 2. उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली, 1963) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001 में नीचे स्तम्भ 1 में दी गई विद्यमान प्रथम अनुसूची के स्थान पर स्तम्भ–2 में दी गई अनुसूची रख दी जाएगी, अर्थात्–

स्तम्भ–1 (वर्तमान प्राविधान)		स्तम्भ–2 (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्राविधान)	
(उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार)(संशोधन) नियमावली, 2009 का स्तम्भ–2 प्रथम अनुसूची (नियम–21))		प्रथम अनुसूची (नियम–21)	
उपखनिज का नाम	स्वामित्व (रायल्टी) की दरें (रू0में)	उपखनिज का नाम	स्वामित्व (रायल्टी) की दरें (रू0में)
6. नदी तल से भिन्न स्थानों से प्राप्त खण्डास/बोल्डर्स (जिसकी कोई भी साईड 25 से0मी0 से अधिक न हो), बजरी/गिट्टी बैलास्ट सिंगल/पहाड़ों के क्षरण से उत्पन्न मोरम/बालू/ मिट्टी।	22.00 प्रति टन। 40.00 प्रति घन मीटर	6. नदी तल से भिन्न स्थानों से प्राप्त खण्ड्स/बोल्डर्स (जिसकी कोई भी साईड 25 से0मी0 से अधिक न हो), बजरी/गिट्टी बैलास्ट सिंगल/पहाड़ों के क्षरण से उत्पन्न मोरम/बालू/मिट्टी।	44.00 प्रति टन। 80.00 प्रति घन मीटर
8. विहित प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त होने वाली बालू से भिन्न नदी तल में उपलब्ध साधारण बालू या मोरम या बजरी या बोल्डर या इनमें से कोई भी मिली जुली अवस्था में हो।	25.00 प्रति टन। 45.00 प्रति घन मीटर	8. विहित प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त होने वाली बालू से भिन्न नदी तल में उपलब्ध साधारण बालू या मोरम या बजरी या बोल्डर या इनमें से कोई भी मिली जुली अवस्था में हो।	50.00 प्रति टन। 90.00 प्रति घन मीटर

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग
संख्याः/490 /VII-1/2014/146-ख/2010
देहरादून : दिनांकः /1 नवम्बर, 2014

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्र एवं मैदानी क्षेत्र में स्वयं की निजी नाप भूमि में स्थल विकास करने के उद्देश्य से पहाड़ी के कटान, बेसमेंट की खुदाई में निकलने वाली मिट्टी/पत्थर को खनन संक्रियाओं तथा पर्यावरणीय अनुमति से मुक्त रखे जाने के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 में निम्नानुसार वर्तमान प्राविधान के साथ अतिरिक्त प्राविधान प्रतिस्थापित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क0सं0	वर्तमान प्राविधान	वर्तमान प्राविधान के साथ एतद्द्वारा अतिरिक्त प्रतिस्थापित प्राविधान
1.	ईंट मिट्टी एवं साधारण मिट्टी खनन की प्रकिया को सरलीकृत कर विकास कार्यों को सुचारू रूप से गतिशील रखने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 के नियम-3 में स्पष्टीकरण तथा नियम-21-1 के उपरान्त उप नियम 1क पर्यावरणीय स्वीकृति की बाध्यता समाप्त किये जाने के उद्देश्य से निम्नवत् जोड़ा गया है :- (1) **स्पष्टीकरण** -ईंट मिट्टी एवं सड़क भरान हेतु साधारण मिट्टी को निकालने की किया खनन संक्रियाओं के अन्तर्गत नहीं आयेगी जब तक कि खनन स्थल की गहराई 02 मीटर से अधिक न हो। (2) (1-क) नियम-3 में किसी भी बात के प्रतिकूल होते हुए भी ईंट भट्टा मालिकों तथा सड़क निर्माण संस्था को नियमावली की प्रथम अनुसूची में तत्समय विनिर्दिष्ट दरों पर रायल्टी का भुगतान करना होगा।	ईंट मिट्टी एवं साधारण मिट्टी खनन की प्रकिया को सरलीकृत कर विकास कार्यों को सुचारू रूप से गतिशील रखने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 के नियम-3 में स्पष्टीकरण तथा नियम-21-1 के उपरान्त उप नियम 1क पर्यावरणीय स्वीकृति की बाध्यता समाप्त किये जाने के उद्देश्य से निम्नवत् जोड़ा गया है :- (1) **स्पष्टीकरण** -ईंट मिट्टी एवं सड़क भरान हेतु साधारण मिट्टी को निकालने की किया खनन संक्रियाओं के अन्तर्गत नहीं आयेगी जब तक कि खनन स्थल की गहराई 02 मीटर से अधिक न हो। (2) (1-क) नियम-3 में किसी भी बात के प्रतिकूल होते हुए भी ईंट भट्टा मालिकों तथा सड़क निर्माण संस्था को नियमावली की प्रथम अनुसूची में तत्समय विनिर्दिष्ट दरों पर रायल्टी का भुगतान करना होगा। **अतिरिक्त प्रतिस्थापित प्राविधान** उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्र एवं मैदानी क्षेत्रों में स्वयं की निजी नाप भूमि में स्थल विकास करने के उद्देश्य से पहाड़ी के कटान, बेसमेंट की खुदाई अथवा भूमि के समतलीकरण किये जाने पर निकलने वाली साधारण मिट्टी को उसी निजी नाप भूमि के प्लाट या अपने ही

		किसी अन्यत्र भूखण्ड (प्लाट) पर ले जाता है तो वह खनन की श्रेणी में नहीं आयेगा और इस प्रकार उक्त के सम्बन्ध में ई0आई0ए0 की बाध्यता नहीं होगी, इस हेतु जे0सी0बी0 का प्रयोग किया जा सकता है तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह प्रकिया केवल स्वयं के निजी नाप भूमि के प्रयोजन हेतु निकलने वाली साधारण मिट्टी पर ही लागू होगी। अन्य खनन संकियाओं पर यह लागू नहीं होगी। यदि उपरोक्तानुसार निजी भूमि के भूखण्ड (प्लाट) से साधारण मिट्टी किसी अन्यत्र स्थान पर व्यवसायिक उपयोग हेतु परिवहन की जाती है, तो उक्त व्यक्ति को नियमावली की प्रथम अनुसूची में तत्समय विनिर्दिष्ट दरों पर रायल्टी का भुगतान करना होगा। उत्तराखण्ड खनिज नीति, 2011 के बिन्दु संख्या–2 के प्रस्तर–7 के अधीन पूर्वानुमति प्राप्त करनी होगी।

(राकेश शर्मा)
अपर मुख्य सचिव।

पृष्ठांकन संख्या:1490 (1)/VII-1/2014/146–ख/2010, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मा0 मंत्रीगण, उत्तराखण्ड को मा0 मंत्रीगणों के संज्ञानार्थ।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
5. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को अपर मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
6. मण्डलायुक्त, कुमायूं/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड, भोपालपानी, देहरादून।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. गोपन (मंत्रिपरिषद) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
10. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त को आगामी गजट में प्रकाशित करते हुए, की 100 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
11. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(ललित मोहन आर्य)
संयुक्त सचिव।

क्रम संख्या–147

पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

देहरादून, शुक्रवार, 07 अगस्त, 2015 ई0
श्रावण 16, 1937 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग

संख्या 1207 / VII-1 / 24–ख / 2007
देहरादून, 07 अगस्त, 2015

अधिसूचना

प0 आ0–109

राज्यपाल, खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 67 वर्ष 1957) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली, 1963) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2011 में उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते है—

उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार)(संशोधन) नियमावली, 2015

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2015 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 21 की प्रथम अनुसूची का संशोधन

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001 (जिसे आगे मूल नियमावली कहा गया है) में नीचे विद्यमान स्तम्भ–1 में दी गयी अनुसूची के स्थान पर स्तम्भ–2 में दी गयी अनुसूची रख दी जायेगी, अर्थात –

स्तम्भ–1 विद्यमान अनुसूची (नियम 21 देखिए)		स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित अनुसूची	
विद्यमान में रायल्टी की दरें प्रति घनमीटर	खनिज का नाम	प्रस्तावित खनिज का नाम	प्रतिस्थापित रायल्टी की दरें (रू0 में)
55.00 प्रतिटन 108.00 प्रति घनमीटर	1. चूना पत्थर	1. चूना पत्थर	200.00 प्रति टन
75.00 प्रति टन 135.00 प्रति घनमीटर	2. मार्बल या मार्बल चिप्स (संगमरमर)	2. मार्बल या मार्बल चिप्स (संगमरमर)	500.00 प्रति टन
18.00 प्रति हजार बनी ईंट	3. ईंट बनाने की मिट्टी	3. ईंट	2000.00 प्रति हजार ईंट
0.60 प्रति कि0ग्रा0 या 60.00 प्रति कुन्टल	4. शोरा (साल्ट पीटर)	4. शोरा (साल्ट पीटर)	6.00 प्रति कि0ग्रा0 या 600.00 प्रति कुन्टल
	5. इमारती पत्थर (बिल्डिंग स्टोन)	5. इमारती पत्थर (बिल्डिंग स्टोन)	
100.00 प्रति टन 180.00 प्रति घनमीटर	1. सभी प्रकार के उप खनिजों से निर्मित ग्रेनाइट को छोड़कर) स्लैब्स अग्रलर सहित साईज्ड डायमेंशनल स्टोन (जिसकी कोई भी एक साइड 25 सेमी0 से अधिक हो)	1. सभी प्रकार के उप खनिजों से निर्मित ग्रेनाइट को छोड़कर) स्लैब्स अग्रलर सहित साईज्ड डायमेंशनल स्टोन (जिसकी कोई भी एक साइड 25 सेमी0 से अधिक हो)	350.00 प्रति टन
200.00 प्रति घनमीटर	2. मिल स्टोन व हथचक्की (सैण्ड स्टोन क्वार्टजाइट)	2. मिल स्टोन व हथचक्की (सैण्ड स्टोन क्वार्टजाइट)	500.00 प्रति टन
44.00 प्रति टन 80.00 प्रति घनमीटर	6. नदी तल से भिन्न स्थानों से प्राप्त खण्डास/बोल्डर्स (जिसकी कोई भी साईड 25 से0मी0 से अधिक न हों), बजरी/गिट्टी बैलास्ट सिंगल/पहाड़ों के क्षरण से उत्पन्न मोरम/बालू/मिट्टी	6. नदी तल से भिन्न स्थानों से प्राप्त खण्डास/बोल्डर्स (जिसकी कोई भी साईड 25 से0मी0 से अधिक न हों), बजरी/गिट्टी बैलास्ट सिंगल/पहाड़ों के क्षरण से उत्पन्न मोरम/बालू	200.00 प्रति घनमीटर
720.00 480.00	7. ग्रेनाइट (साइज्ड) डायमेंशनल स्टोन (क) 1 मीटर या उससे बड़ा (ख) 1 मीटर से छोटा	7. ग्रेनाइट (साइज्ड) डायमेंशनल स्टोन	1000.00
50.00 प्रति टन 90.00 प्रति घनमीटर	8. विहित प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त होने वाली बालू से भिन्न नदी तल में उपलब्ध साधारण बालू या मोरम या बजरी या बोल्डर या इसमें से कोई भी मिली जुली अवस्था में हो	विहित प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त होने वाली बालू से भिन्न नदी तल में उपलब्ध साधारण बालू या मोरम या बजरी या बोल्डर या इसमें से कोई भी मिली जुली अवस्था में हो	200.00 प्रति घनमीटर

5.5 प्रति टन 10.00 प्रति घनमीटर	9. कंकड़	9. कंकड़	200.00 प्रति टन
5.56 प्रति टन 8.00 प्रति घनमीटर	10. साधारण मिट्टी	10. साधारण मिट्टी	50.00 प्रति टन
–	–	11. सोपस्टन	1500.00 प्रति टन
–	–	12. सिलिका सैण्ड	350.00 प्रति टन
–	–	13. क्रोलोमाईट	500.00 प्रति टन
–	–	14. बैराईट	250.00 प्रति टन
–	–	15. अन्य कोई खनिज जो ऊपर सूचित नहीं है	खनिमुख मूल्य का 20 प्रतिशत।

नियम 22 की द्वितीय अनुसूची का संशोधन

2. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दी गयी विद्यमान अनुसूची के स्थान पर स्तम्भ–2 में दी गयी अनुसूची रख दी जायेगी, अर्थात –

स्तम्भ–1 विद्यमान अनुसूची		स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रस्तावित अनुसूची	
विद्यमान में प्रति एकड़ वार्षिक अपरिहार्य भाटक (रू. में)	उप खनिज का नाम	प्रस्तावित उप खनिज का नाम	प्रस्तावित में प्रति एकड़ वार्षिक अपरिहार्य भाटक (रू. में)
4000.00	1. मार्बल और मार्बल चिप्स	1. मार्बल और मार्बल चिप्स	40000.00 प्रति एकड़ प्रति वर्ष। तीन वर्ष के उपरान्त 20 प्रतिशत की वृद्धि (यदि राज्य सरकार द्वारा नई दरें न की गई हों)
4000.00	2. चूना पत्थर लाईम स्टोन	2. चूना पत्थर लाईम स्टोन	40000.00 प्रति एकड़ प्रति वर्ष। तीन वर्ष के उपरान्त 20 प्रतिशत की वृद्धि (यदि राज्य सरकार द्वारा नई दरें न की गई हों)
16000.00	3. नदी तल से भिन्न स्थान से प्राप्त इमारती पत्थर (बिल्डिंग स्टोन) खण्डास /बोल्डर्स/ बजरी/ गिट्टी/ बैलास्ट/ सिंगल/पहाड़ों के क्षरण से उत्पन्न मोरम/बालू/मिट्टी	3. नदी तल से भिन्न स्थान से प्राप्त इमारती पत्थर (बिल्डिंग स्टोन) खण्डास/बोल्डर्स/ बजरी/गिट्टी/बैलास्ट/ सिंगल/ पहाड़ों के क्षरण से उत्पन्न मोरम/बालू/मिट्टी	40000.00 प्रति एकड़ प्रति वर्ष। तीन वर्ष के उपरान्त 20 प्रतिशत की वृद्धि (यदि राज्य सरकार द्वारा नई दरें न की गई हों)
40000.00	4. नदी तल में उपलब्ध साधारण बालू या मोरम या बजरी या बोल्डर या इनमें से कोई भी मिली जुली अवस्था में हो	4. नदी तल में उपलब्ध साधारण बालू या मोरम या बजरी या बोल्डर या इनमें से कोई भी मिली जुली अवस्था में हो	80000.00

1500.00	5. साधारण मृदा (आर्डिनरी क्ले) अथवा साधारण मिट्टी (आर्डिनरी अर्थ)	5. साधारण मृदा (आर्डिनरी क्ले) अथवा साधारण मिट्टी (आर्डिनरी अर्थ)	25000.00
–	–	6. खनिज सोपस्टोन हेतु	20000.00 प्रति एकड़ प्रति वर्ष। तीन वर्ष के उपरान्त 20 प्रतिशत की वृद्धि (यदि राज्य सरकार द्वारा नई दरें न की गई हों)
–	–	7. खनिज सिलिका सैण्ड	30000.00 प्रति एकड़ प्रति वर्ष। तीन वर्ष के उपरान्त 20 प्रतिशत की वृद्धि (यदि राज्य सरकार द्वारा नई दरें न की गई हों)
–	–	8. खनिज डोलोमाईट हेतु	20000.00 प्रति एकड़ प्रति वर्ष। तीन वर्ष के उपरान्त 20 प्रतिशत की वृद्धि (यदि राज्य सरकार द्वारा नई दरें न की गई हों)
–	–	9. खनिज क्वार्टजाइट हेतु	20000.00 प्रति एकड़ प्रति वर्ष। तीन वर्ष के उपरान्त 20 प्रतिशत की वृद्धि (यदि राज्य सरकार द्वारा नई दरें न की गई हों)
–	–	10. खनिज बैराईट हेतु	20000.00 प्रति एकड़ प्रति वर्ष। तीन वर्ष के उपरान्त 20 प्रतिशत की वृद्धि (यदि राज्य सरकार द्वारा नई दरें न की गई हों)

आज्ञा से,

राकेश शर्मा,
मुख्य सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of 'the Constitution of India', the Governor pleased to order the publication of the following English translation of Notification no. 1207/VII-1/24-Kha/2007, Dehradun, dated August 07, 2015 for general information:

No. 1207/VII-1/24-Kha/2007
Dated Dehradun, August 07, 2015

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by section 15 of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957 (Act no 67 of 1957), the Governor is pleased to a view to further amend the Uttrakhand (Uttar Pradesh Minor Mineral (Concession) Rules, 1963) Adaptation and Modification Order, 2001 to the context of the State of Uttrakhand as follows; namely:-

The Uttarakhand Minor Mineral (concession) (Amendment) Rules, 2015

Short Title and Commencement 1. (1) These rules may be called the Uttarakhand Minor Mineral (concession) (Amendment) Rules, 2015.

(2) It shall come into force at once.

Amendment of First Schedule 2. In the Uttarkahand (Uttar Pradesh Minor Mineral (Concession) Rules, 1963) Adaptation and Modification Order, 2001 (hereinafter referred to as Principle Rule), the First Schedule given in column-1 shall be substituted by column-2 as follows, namely-

Column-1 Existing Schedule		**column-2 Schedule as hereby substituted**	
Existing royalty rate (per cubic meter)	**Mineral Name**	**Substituted mineral name**	**substituted royalty rate (₹)**
55.00 per ton 108.00 per cubic meter	1- Limestone	1- Limestone	₹ 200.00 per tonne
75.00 per ton 135.00 per cubic meter	2-Marble and marble chips	2- Marble and marble chips (marble)	₹ 500.00 per tonne
18.00 per thousand made briquette	3- brick earth	3- briquette	₹ 2000.00 per thousand bricks
0.60 per K.G. or 60.00 per Kuntl	4- Salt peter	4- Sora (Salt peter)	₹ 6.00 per k.g. or ₹ 600.00 per kuntl

100.00 per ton 180.00 per cubic meter 200.00per cubic meter	5- building stone (i) all types of minor mineral made of (except Granite) sized Dimensional stone including slabs ashlar(Sandstone,Quartizite) (who have any one site is above in 25 cm) (ii) sand stone quartzite	5- building stone (i) all types of minor mineral made of (except Granite) sized Dimensional stone including slabs ashlar (Sandstone,Quartizite) (who have any one site is above in 25 cm) (ii) sand stone quartzite	₹ 350.00 per tonne ₹ 500.00 per tonne
44.00 per ton 80.00 per cubic meter	6- The river level from different location Khandas / Boulders (any site which does not exceed 25 c.m.), Bajri (sigle), Ballast (Gitti), morrum deposit due to erosion of hill/ sand/earth	6- The river level from different location Khandas / Boulders (any site which does not exceed 25 c.m.), Bajri(sigle) , Ballast(Gitti), morrum deposit due to erosion of hill/ sand	₹ 200.00 per cubic meter
720.00 480.00	7- Granite (sized) Dimensional Stone (a) size of 1 meter above (b) size of below 1 meter	7- Granite (sized) Dimensional Stone	₹ 1000.00
50.00 per ton 90.00 per cubic meter	8- Ordinary sand (other than sand used for prescribed purposes available in the river bed) or Morrum and Bajri and Boulders and any of the above in a mixed condition	8- Ordinary sand (other than sand used for prescribed purposes available in the river bed) or Morrum and Bajri and Boulders and any of the above in a mixed condition	₹ 200.00 per cubic meter
5.5 per ton 10.00 per cubic meter	9-Kankar	9- Kankar	₹ 200.00 per tonne
5.56 per ton 8.00 per cubic meter	10- Ordinary earth	10- Ordinary earth	₹ 50.00 per tonne
-	-	11- Soapstone	₹ 1500.00 per tonne

-	-	12-Silika sand	₹ 350.00 per tonne
-	-	13- Dolomite	₹ 500.00 per tonne
-	-	14-Bairite	₹ 250.00 per tonne
-	-	15- other any minerals which are not indicated above	20% of the drilled value

Amendment of Second Schedule

2. The Second Schedule given in column-1 shall be substituted by column-2 of the Principle rule, as follows, namely-

Column-1 Existing Schedule		**column-2 Schedule as hereby substituted**	
Existing rate of dead rent per acre per annum(₹)	**Name of Minor Mineral Name**	**Substituted Name of Minor mineral name**	**substituted royalty rate of dead rent per acre per annum(₹)**
4000.00	1-Marble and Marble chips	1-Marble and Marble chips	40000.00 per acre per annum. 20% growth after three years (if new rates are not the State Government)
4000.00	2-Limestone	2-Limestone	40000.00 per acre per annum. 20% growth after three years (if new rates are not the State Government)
16000.00	3-available in the river Building stone /Khandas/ Boulders/ Bajri/ Gitti/ Ballast/ Singal/ Morrum deposited erosion of hills/ Sand/Earth	3-available in the river Building stone/Khandas/Boulders/ Bajri/Gitti/Ballast/ Singal/ Morrum deposited erosion of hills/Sand/Earth	40000.00 per acre per annum. 20% growth after three years (if new rates are not the State Government)
40000.00	4-Ordinary sand in available in river bed / Morrum / Bajri /Boulder / if any of these in a mixed state	4-Ordinary sand in available in river bed / Morrum / Bajri /Boulder / if any of these in a mixed state	80000.00

1500.00	5-Ordinary Clay or Ordinary Earth	5-Ordinary Clay or Ordinary Earth -	25000.00
-	-	6- for Minerals soapstone	20000.00 per acre per annum. 20% growth after three years (if new rates are not the State Government)
-	-	7-for Minerals Silika sand	30000.00 per acre per annum. 20% growth after three years (if new rates are not the State Government)
-	-	8- for Minerals Dolomite	20000.00 per acre per annum. 20% growth after three years (if new rates are not the State Government)
-	-	9- for Minerals Quartzite	20000.00 per acre per annum. 20% growth after three years (if new rates are not the State Government)
-	-	10- for minerals Bairite	20000.00 per acre per annum. 20% growth after three years (if new rates are not the State Government)

By Order,

RAKESH SHARMA,
Chief Secretary.

पी०एस०यू० (आर०ई०) 07 औ०वि० / 471–2015–100+150 (कम्प्यूटर / रीजियो)।

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग
संख्याः 1275 /VII-1/24–ख/2007
देहरादून : दिनांकः 12 अगस्त, 2015

अधिसूचना
शुद्धि पत्र

औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 1207/VII-1/24–ख/2007, दिनांक 07 अगस्त, 2015 द्वारा उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2015 प्रख्यापित की गयी है। उक्त अधिसूचना दिनांक 07 अगस्त, 2015 के अंग्रेजी रूपान्तरण (English translation) के पृष्ठ–3 के बिन्दु संख्या–11 सोपस्टोन (Soapstone) की रायल्टी दर टंककीय त्रुटिवश ₹ 150 प्रति टन टंकित हो गयी है, के स्थान पर ₹ 1500 प्रति टन पढ़ा जाय।

2– अधिसूचना संख्या 1207/VII-1/24–ख/2007, दिनांक 07 अगस्त, 2015 द्वारा प्रख्यापित अधिसूचना के अंग्रेजी रूपान्तरण (English translation) को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

आज्ञा से,

(राकेश शर्मा)
मुख्य सचिव।

क्रम संख्या–177 (ख)

पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0जी0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

देहरादून, सोमवार, 05 अक्टूबर, 2015 ई0

आश्विन 13, 1937 शाक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

औद्योगिक विकास अनुभाग

संख्या 1572 / VII–1 / 24–ख / 2007

देहरादून, 05 अक्टूबर, 2015

अधिसूचना

प0 आ0–138

औद्योगिक विकास अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 1207 / VII-1 / 24–ख / 2007, दिनांक 07 अगस्त, 2015 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2015 की प्रथम अनुसूची स्वामित्व (रायल्टी) की दर (नियम–21) में स्तम्भ–2 के क्रमांक–16 में क्वार्टजाईट जोड़ते हुए क्वार्टजाईट की रायल्टी दर ₹ 100 प्रति टन निर्धारित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

श्रीधर बाबू अद्दांकी,
अपर सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 15 औ0वि0 / 581–2015–100+150 (कम्प्यूटर / रीजियो)।

क्रम संख्या–180

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0जी0/डी0डी0एम0/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

देहरादून, बुधवार, 07 अक्टूबर, 2015 ई0
आश्विन 15, 1937 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग

संख्या 1591/VII–1/24–ख/2007

देहरादून, 07 अक्टूबर, 2015

अधिसूचना

प0 आ0–134

औद्योगिक विकास अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 1207/VII-1/24–ख/2007, दिनांक 07 अगस्त, 2015 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2015 की प्रथम अनुसूची स्वामित्व (रायल्टी) की दर (नियम–21) के क्रमांक–11 पर सोपस्टोन की रायल्टी एवं नियम–22 की द्वितीय अनुसूची क क्रमांक–6 में अपरिहार्य भाटक (डेडरेन्ट) की दर को निम्नानुसार संशोधित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

क्र0सं0	वर्तमान प्राविधान		एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्राविधान
1.	11. सोपस्टोन	रू0 1500.00 प्रति टन	11. सोपस्टोन – निम्न श्रेणी – रू0 350.00 प्रति टन उच्च श्रेणी – रू0 400.00 प्रति टन
2.	6. 20000 प्रति एकड़ प्रतिवर्ष। तीन वर्ष के उपरान्त बीस प्रतिशत की वृद्धि (यदि राज्य सरकार द्वारा नई दरें न की गई हो)		6. रू0 5000 प्रति हैक्टेयर तथा तीन वर्ष के उपरान्त 20 प्रतिशत की वृद्धि (यदि राज्य सरकार द्वारा नई दरें न की गई हो)

आज्ञा से,

राकेश शर्मा,
मुख्य सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 11 औ0वि0/575–2015–100+150 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–1
संख्याः 1724 /VII-1/24–ख/2007
देहरादून : दिनांकः 30 अक्टूबर, 2015

अधिसूचना

औद्योगिक विकास अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 1207/VII-1/24–ख/2007, दिनांक 07 अगस्त, 2015 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली 2015 की प्रथम अनुसूची स्वामित्व (रायल्टी) की दर (नियम–21) के क्रमांक–3 पर इंगित ईंट की रायल्टी दर को निम्नानुसार संशोधित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

क्र0 सं0	वर्तमान प्राविधान	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्राविधान
1.	दिनांक 07 अगस्त, 2015 को निर्गत नियमावली की प्रथम अनुसूची स्वामित्व (रायल्टी) की दर (नियम–21) के क्रमांक–3 पर ईंट की रायल्टी दर रू0 2000.00 प्रति हजार ईंट	दिनांक 07 अगस्त, 2015 को निर्गत नियमावली की प्रथम अनुसूची स्वामित्व (रायल्टी) की दर (नियम–21) के क्रमांक–3 की रायल्टी दर रू0 1000.00 प्रति हजार ईंट

(राकेश शर्मा)
मुख्य सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 1725 (1)/VII-1/24–ख/2007, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव को अपर मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
5. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अवैध खनन निरोधक सतर्कता इकाई, उत्तराखण्ड।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. गोपन (मंत्रिपरिषद) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
10. समस्त उप निदेशक, खनन/भूविज्ञान, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड सम्बन्धित जनपद।
11. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को असाधारण गजट, विधायी परिशिष्ट भाग–4 में मुद्रित कराकर इसकी 150 प्रतियां इस अनुभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
12. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर देहरादून।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(धीरेन्द्र सिंह दताल)
संयुक्त सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–1
संख्याः 107/VII-1/24–ख/2007
देहरादून : दिनांक 22 जनवरी, 2016

अधिसूचना

औद्योगिक विकास अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–1207/VII-1/24–ख/2007 दिनांक 07 अगस्त, 2015 के द्वारा उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2015 प्रख्यापित की गई, जिसमें अधिसूचना संख्या–1572/VII-1/24–ख/2007 दिनांक 5 अक्टूबर, 2015 एवं अधिसूचना संख्या–1591/VII-1/24–ख/2007 दिनांक 7 अक्टूबर, 2015 के माध्यम से आंशिक संशोधन किये गये। रिट पिटीशन सं० 2855/एम०एस०/2015 सतीश कुमार एवं अन्य बनाम राज्य एवं अन्य, रिट पिटीशन सं० 2686/एम०एस०/2015 कुमाऊं स्टोन क्रेशर एसोसियेशन एवं अन्य बनाम राज्य एवं अन्य एवं रिट पिटीशन सं० 2907/एम०एस०/2015 देवभूमि ईंट भट्टा सोसाइटी बनाम राज्य एवं अन्य में मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.12.2015 के माध्यम से शासन की उक्त अधिसूचना सं० 1270/VII-1/24–ख/2007 दिनांक 7 अगस्त, 2015 को Stayed कर दिया गया है। मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.12.2015 का अंश निम्नवत् है :–

> "After hearing learned counsel for the parties and having gone through the documents brought on record, it is provided, as an interim measure, that the effect and operation of impugned Notification No. 1207/VII-1/24-Kha/2007 dated 7.8.2015 shall remain stayed till the next date of listing"

2. मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित स्थगनादेश दिनांक 10.12.2015 के क्रम में शासन की उक्त अधिसूचना संख्या–1207/VII-1/24–ख/2007 दिनांक 07 अगस्त, 2015, अधिसूचना संख्या–1572/VII-1/24–ख/2007 दिनांक 5 अक्टूबर, 2015 एवं अधिसूचना संख्या–1591/VII-1/24–ख/2007 दिनांक 7 अक्टूबर, 2015 को मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित स्थगनादेश दिनांक 10.12.2015 से निरस्त किये जाने तथा दिनांक 10.12.2015 से शासन की अधिसूचना संख्या–162/VII-II-13/24–ख/2007 दिनांक 16 जनवरी, 2013 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2013 में निर्धारित रायल्टी को लागू किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(शत्रुघ्न सिंह)
मुख्य सचिव

पृष्ठांकन संख्याः 107 (1)/VII-1/24–ख/2007 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल को मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल के संज्ञानार्थ प्रस्तुत करने हेतु।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
5. निजी सचिव, समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को अपर मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
6. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अवैध खनन निरोधक सतर्कता इकाई, उत्तराखण्ड।

क्रम संख्या–34

पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

देहरादून, शुक्रवार, 26 फरवरी, 2016 ई0
फाल्गुन 07, 1937 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–1

संख्या 211 / VII–1 / 24–ख / 2007
देहरादून, 26 फरवरी, 2016

अधिसूचना

प0 आ0–35

राज्यपाल, खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 67 वर्ष 1957) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली, 1963) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001 में उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार)(संशोधन) नियमावली, 2016

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2016 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 21 की प्रथम अनुसूची का संशोधन

2. उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001 (जिसे आगे मूल नियमावली कहा गया है) में नीचे विद्यमान स्तम्भ–1 में दी गयी अनुसूची के स्थान पर स्तम्भ–2 में दी गई अनुसूची रख दी जायेगी, अर्थात –

स्तम्भ–1 विद्यमान अनुसूची (नियम–21 देखिए)		स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित अनुसूची	
विद्यमान में रायल्टी की दरें प्रति घनमीटर	खनिज का नाम	खनिज का नाम	प्रतिस्थापित रायल्टी की दरें (धनराशि ₹ में)
55.00 प्रतिटन 108.00 प्रति घनमीटर	1. चूना पत्थर	1.चूना पत्थर	200.00 प्रति टन
75.00 प्रतिटन 135.00 प्रति घनमीटर	2.मार्बल या मार्बल चिप्स संगमरमर	2.मार्बल या मार्बल चिप्स संगमरमर	500.00 प्रति टन
18.00 प्रति हजार बनी ईंट	3. ईंट बनाने की मिट्टी	3. ईंट	1000.00 प्रति हजार ईंट
0.60 प्रति कि0ग्रा0 या 60.00 प्रति कुन्टल	4. शोरा (साल्ट पीटर)	4. शोरा (साल्ट पीटर)	6.00 प्रति कि0ग्रा0 या 600.00 प्रति कुन्टल
100.00 प्रति टन 180.00 प्रति घनमीटर 200.00 प्रति घनमीटर	5. इमारती पत्थर (बिल्डिंग स्टोन) 1–सभी प्रकार के उप खनिजों से निर्मित ग्रेनाइट को छोड़कर स्लैब्स अशलर सहित साईज्ड डायमेंशनल स्टोन (जिसकी कोई भी एक साइड 25 सेमी0 से अधिक हो) 2–मिल स्टोन व हथचक्की (सैण्ड स्टोन क्वार्टजाइट)	5. इमारती पत्थर (बिल्डिंग स्टोन) 1–सभी प्रकार के उप खनिजों से निर्मित ग्रेनाइट को छोड़कर स्लैब्स अशलर सहित साईज्ड डायमेंशनल स्टोन (जिसकी कोई भी एक साइड 25 सेमी0 से अधिक हो) 2–मिल स्टोन व हथचक्की (सैण्ड स्टोन क्वार्टजाइट)	350.00 प्रति टन 500.00 प्रति टन
44.00 प्रति टन 80.00 प्रतिघनमीटर	6.नदी तल से भिन्न स्थानों से प्राप्त खण्डास/ बोल्डर्स (जिसकी कोई भी साईड 25 से0मी0 से अधिक न हो) बजरी/गिट्टी बैलास्ट सिंगल/पहाड़ों के क्षरण से उत्पन्न मोरम/बालू/ मिट्टी	6.नदी तल से भिन्न स्थानों से प्राप्त खण्डास/बोल्डर्स (जिसकी कोई भी साईड 25 से0मी0 से अधिक न हो) बजरी/गिट्टी बैलास्ट सिंगल/पहाड़ों के क्षरण से उत्पन्न मोरम/बालू	194.50 प्रति घनमीटर अर्थात् 8.85 प्रति कुन्टल
720.00 प्रति घनमीटर 480.00 प्रति घनमीटर	7.ग्रेनाइट (साइज्ड) डायमेंशनल स्टोन (क) 1 मीटर या उससे बड़ा (ख) 1 मीटर से छोटा	7. ग्रेनाइट (साइज्ड) डायमेंशनल स्टोन	1000.00 प्रति घनमीटर
50.00 प्रति टन 90.00 प्रति घनमीटर	8–विहित प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होने वाली बालू से भिन्न नदी तल में उपलब्ध	8. विहित प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होने वाली बालू से भिन्न नदी तल में उपलब्ध	194.50 प्रति घनमीटर अर्थात् 8.85 प्रति कुन्टल

स्तम्भ–1 विद्यमान अनुसूची (नियम–21 देखिए)		स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित अनुसूची	
	साधारण बालू या मोरम या बजरी या बोल्डर या इसमें से कोई भी मिली जुली अवस्था में हो	साधारण बालू या मोरम या बजरी या बोल्डर या इसमें से कोई भी मिली जुली अवस्था में हो	
5.5 प्रति टन 10.00 प्रति घनमीटर	9 कंकड़	9 कंकड़	200.00 प्रति टन
5.56 प्रति टन 8.00 प्रति घनमीटर	10. साधारण मिट्टी	10. साधारण मिट्टी	50.00 प्रति टन
–	–	11. सिलिका सैण्ड	350.00 प्रति टन
–	–	12. क्रोमाईट	500.00 प्रति टन
–	–	13. बैराईट	250.00 प्रति टन
		14. क्वार्टजाईट	100.00 प्रति टन
–	–	15. अन्य कोई खनिज जो ऊपर सूचित नही है	खनिमुख मूल्य का 20 प्रतिशत

नियम 22 की द्वितीय अनुसूची का संशोधन

3. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दी गयी विद्यमान अनुसूची के स्थान पर स्तम्भ–2 में दी गयी अनुसूची रख दी जायेगी, अर्थात् –

स्तम्भ–1 विद्यमान अनुसूची		स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित अनुसूची	
वर्तमान में प्रति एकड़ वार्षिक अपरिहार्य भाटक (₹ में)	उप खनिज का नाम	उप खनिज का नाम	प्रति एकड़ वार्षिक अपरिहार्य भाटक (धनराशि ₹ में)
4000.00	1. मार्बल और मार्बल चिप्स	1. मार्बल और मार्बल चिप्स	40000.00 प्रति एकड़ प्रति वर्ष। तीन वर्ष के उपरान्त 20 प्रतिशत की वृद्धि (यदि राज्य सरकार द्वारा नई दरें निर्धारित नहीं की गई हो)
4000.00	2. चूना पत्थर लाईम स्टोन	2. चूना पत्थर लाईम स्टोन	40000.00 प्रति एकड़ प्रति वर्ष। तीन वर्ष के उपरान्त 20 प्रतिशत की वृद्धि (यदि राज्य सरकार द्वारा नई दरें निर्धारित नहीं की गई हो)
16000.00	3. नदी तल से भिन्न स्थान से प्राप्त इमारती पत्थर (बिल्डिंग स्टोन) खण्डास/बोल्डर्स/बजरी/गिट्टी/बैलास्ट/सिंगल/पहाड़ों के क्षरण से उत्पन्न मोरम/बालू/मिट्टी	3. नदी तल से भिन्न स्थान से प्राप्त इमारती पत्थर (बिल्डिंग स्टोन) खण्डास/बोल्डर्स/ बजरी/गिट्टी/बैलास्ट/सिंगल/पहाड़ों के क्षरण से उत्पन्न मोरम/बालू/मिट्टी	40000.00 प्रति एकड़ प्रति वर्ष। तीन वर्ष के उपरान्त 20 प्रतिशत की वृद्धि (यदि राज्य सरकार द्वारा नई दरें निर्धारित नहीं की गई हो)

स्तम्भ–1 विद्यमान अनुसूची		स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित अनुसूची	
40000.00	4. नदी तल में उपलब्ध साधारण बालू या मोरम या बजरी या बोल्डर या इनमें से कोई भी मिली जुली अवस्था में हो	4. नदी तल में उपलब्ध साधारण बालू या मोरम या बजरी या बोल्डर या इनमें से कोई भी मिली जुली अवस्था में हो	80000.00 प्रति एकड़ प्रति वर्ष
1500.00	5. साधारण मृदा (आर्डिनरी क्ले) अथवा साधारण मिट्टी (आर्डिनरी अर्थ)	5. साधारण मृदा (आर्डिनरी क्ले) अथवा साधारण मिट्टी (आर्डिनरी अर्थ)	25000.00 प्रति एकड़ प्रति वर्ष
–	–	6. खनिज सिलिका सैण्ड	30000.00 प्रति एकड़ प्रति वर्ष। तीन वर्ष के उपरान्त 20 प्रतिशत की वृद्धि (यदि राज्य सरकार द्वारा नई दरें निर्धारित नहीं की गई हो)
–	–	7. खनिज डोलोमाईट हेतु	20000.00 प्रति एकड़ प्रति वर्ष। तीन वर्ष के उपरान्त 20 प्रतिशत की वृद्धि (यदि राज्य सरकार द्वारा नई दरें निर्धारित नहीं की गई हो)
–	–	8. खनिज क्वार्टजाइट हेतु	20000.00 प्रति एकड़ प्रति वर्ष। तीन वर्ष के उपरान्त 20 प्रतिशत की वृद्धि (यदि राज्य सरकार द्वारा नई दरें निर्धारित नहीं की गई हो)
–	–	9. खनिज बैराईट हेतु	20000.00 प्रति एकड़ प्रति वर्ष। तीन वर्ष के उपरान्त 20 प्रतिशत की वृद्धि (यदि राज्य सरकार द्वारा नई दरें निर्धारित नहीं की गई हो)

आज्ञा से,

धीरेन्द्र सिंह दताल,
संयुक्त सचिव।

पी०एस०यू० (आर०ई०) 06 औ०वि० / 123–2016–100+150 (कम्प्यूटर / रीजियो)।

क्रम संख्या–82 (ग) पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2014–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 19 मई, 2016 ई0
ज्येष्ठ 29, 1938 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–1

संख्या 842/VII–1/2016/24–ख/2007
देहरादून, 19 मई, 2016

अधिसूचना

प0 आ0–73

शासन की अधिसूचना संख्या–211/VII-1/24–ख/2007, दिनांक 26 फरवरी, 2016 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार)(संशोधन) नियमावली, 2016 की प्रथम अनुसूची स्वामित्व (रायल्टी) की दर (नियम–21) के क्रमांक–8 में विहित प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होने वाली बालू से भिन्न नदी तल में उपलब्ध साधारण बालू या मोरम या बजरी या बोल्डर या इसमें से कोई भी मिली जुली अवस्था में हो, की रायल्टी की दर को निम्नानुसार संशोधन किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

वर्तमान प्रावधान		एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्रावधान	
खनिज का नाम	रायल्टी की दर	खनिज का नाम	प्रतिस्थापित रायल्टी की दर एवं निर्धारित नदी तल (घनराशि ₹ में)
8. विहित प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होने वाली बालू से भिन्न नदी तल में उपलब्ध साधारण बालू या मोरम या बजरी या बोल्डर या इसमें से कोई भी मिली जुली अवस्था में हो	194.50 प्रति घनमीटर अर्थात् 8.85 प्रति कुन्टल।	8. विहित प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होने वाली बालू से भिन्न नदी तल में उपलब्ध साधारण बालू या मोरम या बजरी या बोल्डर या इसमें से कोई भी मिली जुली अवस्था में हो	I. ₹ 8.50 प्रति कुन्टल अर्थात् ₹ 187.00 प्रति घनमीटर (गौला नदी) II. ₹ 8.00 प्रति कुन्टल अर्थात् ₹ 176.00 प्रति घनमीटर (कोसी, दाबका नदी) III. ₹ 7.00 प्रति कुन्टल अर्थात् ₹ 154.00 प्रति घनमीटर (हरिद्वार एवं अन्य स्थान)

2. उक्तानुसार रायल्टी की संशोधित दरें, आदेश निर्गत होने की तिथि से लागू होंगी। इसका पूर्वगामी प्रभाव नहीं होगा।

3. उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार)(संशोधन) नियमावली, 2016 में उपरोक्तानुसार किये गये आंशिक संशोधन के उपरान्त नियमावली के शेष बिन्दु यथावत् रहेंगे।

आज्ञा से,

विनय शंकर पाण्डेय,
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–1
संख्याः 1560 / VII-1 / 2016 / 158–ख / 2004
देहरादून : दिनांक 30 सितम्बर, 2016

अधिसूचना

अधिसूचना संख्या–1187 / औ०वि० / 2001–22ख / 2001 दिनांक 30.4.2001 के क्रम में उत्तराखण्ड राज्य में खनिज विकास को प्रोत्साहित किये जाने हेतु उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2001, जिसमें समय–समय पर अद्यतन संशोधन किये गये हैं, में निम्नवत् अतिरिक्त प्रावधान एवं संशोधन किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

नियम–6 में अतिरिक्त प्रावधान :–

उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 (मूल नियमावली) में वर्तमान नियम–6(1)(ङ) के उपरान्त नियम–6(1)(च) का अतिरिक्त प्रावधान जोड़ दिया जायेगा अर्थात्;

नियम–6 (1)(च) खनन पट्टा के नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ आवेदक के द्वारा वाणिज्यकर विभाग के उस अधिकारी, जिसके पास संबंधित खनन पट्टे का अधिकार क्षेत्र है, के द्वारा निर्गत अदेयता प्रमाण पत्र, जिसमें यह दर्शाया गया हो कि आवेदक के विरुद्ध कोई वाणिज्यकर की वसूली योग्य बकाया अथवा जमा योग्य कर अवशेष नहीं है, प्रस्तुत किया जायेगा।

नियम–70 का संशोधन :– उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 (मूल नियमावली) में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम–70(1) एवं (2) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्;

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
नियम 70–खनिज के परिवहन पर निर्बन्धन– (1) खनन पट्टा या खनन अनुज्ञापत्र धारक या उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत व्यक्ति, किसी गाड़ी, पशु या परिवहन के किसी अन्य साधन द्वारा उपखनिज का परिषण (कन्साइनमेंट) कर ले जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्रपत्र एम०एम०–11 में पास जारी करेगा। राज्य सरकार जिलाधिकारी के माध्यम से, भुगतान के आधार पर मुद्रित एन०एम०–11 प्रपत्र पुस्तिका की सम्पूर्ति का प्रबन्ध करेगी।	70–खनिज के परिवहन पर निर्बन्धन– (1) खनन पट्टा या खनन अनुज्ञापत्रधारक या उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत व्यक्ति, किसी पंजीकृत गाड़ी या परिवहन के किसी अन्य पंजीकृत साधन द्वारा उपखनिज का परिषण (कन्साइनमेंट) कर ले जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को राज्य के सीमान्तर्गत ऑनलाईन ई–फॉर्म एम०एम० 11 अथवा मैनुअल प्रपत्र एम०एम०–11 तथा राज्य की सीमा से बाहर परिवहन किये जाने हेतु ऑनलाईन ई–फॉर्म एम०एम० 11 (ओ / एस) अथवा मैनुअल एम०एम०11 (ओ / एस) जारी करेगा। राज्य सरकार भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की विभागीय वेबसाईट पर तैयार ई–एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से, भुगतान के आधार पर यथास्थिति ई–फॉर्म एम०एम०–11 अथवा ई–फॉर्म एम०एम० 11 (ओ / एस) तथा आकस्मिक परिस्थिति में मैनुअल एम०एम० 11 एवं मैनुअल एम०एम०–11 (ओ० / एस०) प्रपत्र पुस्तिका की सम्पूर्ति का प्रबन्ध करेगी।

(2) कोई भी व्यक्ति राज्य के भीतर रेल को छोड़कर, पशु, गाड़ी या परिवहन के किसी अन्य साधन द्वारा कोई उपखनिज उपनियम (1) के अधीन प्रपत्र एम०एम०–11 में जारी पास के बिना नहीं ले जायेगा।	(2) कोई भी व्यक्ति राज्य के भीतर रेल को छोड़कर, पंजीकृत गाड़ी या पंजीकृत परिवहन के किसी अन्य साधन द्वारा कोई उपखनिज उपनियम (1) के अधीन बिना ई–फॉर्म एम०एम०–11 अथवा मैनुअल प्रपत्र एम०एम०–11 में घोषणा किये हुए नहीं ले जायेगा। परन्तु निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड को विशिष्ट परिस्थितियों में ई–ट्रांजिट पास (ई–एम०एम०–11, ई–एम०एम०–11 ओ/एस) के ऑनलाइन जनरेशन (Online generation) के उपयोग हेतु छूट प्रदान करने का अधिकार होगा। ऐसी विशिष्ट परिस्थितियों हेतु, जिनमें ऑनलाइन ई–ट्रांजिट पास (ई–एम०एम०–11, ई–एम०एम०–11 ओ/एस) के उपयोग को छूट प्रदान किया जाय, खनिजों के परिवहन हेतु मैनुअल ट्रांजिट पास (एम०एम०–11, एम०एम०–11 ओ/एस) का उपयोग का प्रावधान प्रभावी रहेगा।

नियम–70 में अतिरिक्त प्रावधान :–

उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 (मूल नियमावली) में वर्तमान नियम–70 के उपनियम–(7) के उपरान्त नियम–70 में उपनियम–(8) एवं उपनियम–(9) का अतिरिक्त प्रावधान निम्नवत् जोड़ दिया जायेगा अर्थात;

नियम–70 (8) शासन द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत ई–रवन्ना लेने से पूर्व खनन पट्टाधारक को अपने पट्टा क्षेत्र में चुगान हेतु अवशेष उपखनिज की मात्रा को घोषित करेगा।

नियम–70 (9) खनन पट्टाधारक द्वारा अग्रिम रूप से जमा की गई रायल्टी धनराशि के सापेक्ष आगणन कर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा प्राधिकृत विभागीय अधिकारी द्वारा खनिज निष्कासन की क्षमता (Capacity) स्वीकृत की जायेगी।

आज्ञा से,

(शैलेश बगौली)
सचिव

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–1
संख्याः 1757 /VII-1/16/24–ख/2007
देहरादूनः दिनांकः 22 नवम्बर, 2016

अधिसूचना

शासन की अधिसूचना संख्या–211/VII-1/24–ख/2007 दिनांक 26 फरवरी, 2016 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार)(संशोधन) नियमावली, 2016 की प्रथम अनुसूची स्वामित्व (रायल्टी) की दर (नियम–21) स्तम्भ–2 के क्रमांक–16 में सोपस्टोन जोड़ते हुए निम्न श्रेणी (सोपस्टोन) की रायल्टी दर ₹ 350.00 प्रति टन तथा उच्च श्रेणी (सोपस्टोन) की रायल्टी ₹ 450.00 प्रति टन तथा द्वितीय अनुसूची अपरिहार्य भाटक (डेडरेन्ट) की दर (नियम–22) स्तम्भ–2 के क्रमांक–10 में सोपस्टोन जोड़ते हुए सोपस्टोन हेतु वार्षिक अपरिहार्य भाटक (डेडरेन्ट) की दर ₹ 5000.00 प्रति हैक्टेयर तथा तीन वर्ष के उपरान्त 20 प्रतिशत की वृद्धि (यदि राज्य सरकार द्वारा नई दरें न की गई हों), निर्धारित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्तानुसार रायल्टी की संशोधित दरें, आदेश निर्गत होने की तिथि से लागू होंगी। इसका पूर्वागामी प्रभाव नहीं होगा।

3. उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार)(संशोधन) नियमावली, 2016 में उपरोक्तानुसार किये गये आंशिक संशोधन के उपरान्त नियमावली के शेष बिन्दु यथावत् रहेंगे।

आज्ञा से,

(शैलेश बगौली)
सचिव

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–1
संख्याः 1751 /VII-1/16/24–ख/07टीसी
देहरादूनः दिनांकः 8 नवम्बर, 2016

अधिसूचना

शासन की अधिसूचना संख्या–211/VII-1/24–ख/2007 दिनांक 26 फरवरी, 2016 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार)(संशोधन) नियमावली, 2016 की प्रथम अनुसूची स्वामित्व (रायल्टी) की दर (नियम–21) के क्रमांक–3 पर ईंट की रायल्टी दर को निम्नानुसार संशोधन किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

वर्तमान प्रावधान		एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्रावधान	
खनिज का नाम	रायल्टी की दर	खनिज का नाम	प्रतिस्थापित रायल्टी की दर (धनराशि ₹ में)
3. ईंट	1000.00 प्रति हजार ईंट	3. मिट्टी से निर्मित ईंट	₹ 100.00 प्रति हजार ईंट

2. उक्तानुसार रायल्टी की संशोधित दरें, आदेश निर्गत होने की तिथि से लागू होंगी। इसका पूर्वागामी प्रभाव नहीं होगा।

3. उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार)(संशोधन) नियमावली, 2016 में उपरोक्तानुसार किये गये आंशिक संशोधन के उपरान्त नियमावली के शेष बिन्दु यथावत् रहेंगे।

आज्ञा से,

(शैलेश बगौली)
सचिव

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–1
संख्याः 1375/VII-1/16/158–ख/04टीसी
देहरादून : दिनांकः 9 दिसम्बर, 2016

अधिसूचना

अधिसूचना संख्या–1187/औ०वि०/2001–22ख/2001 दिनांक 30.4.2001 के क्रम में उत्तराखण्ड राज्य में खनिज विकास को प्रोत्साहित किये जाने हेतु उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2001, जिसमें समय–समय पर अग्रेत्तर संशोधन किये गये हैं, में निम्नवत् अतिरिक्त प्रावधान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

नियम–70 में अतिरिक्त प्रावधान :–

उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 (मूल नियमावली) में वर्तमान नियम–70 के उपनियम–(7) के उपरान्त नियम–70 में उपनियम–(10) का अतिरिक्त प्रावधान निम्नवत् जोड़ दिया जायेगा अर्थात;

नियम–70 (10) नदी तल से निकासी किये गये आर०बी०एम० (बालू, बजरी एवं बोल्डर) का राज्य से बाहर परिवहन/निर्यात पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा तथा उक्त के राज्य से बाहर परिवहन हेतु ई–फार्म एम०एम०–11 (ओ/एस) निर्गत नहीं किये जायेंगे, परन्तु क्रशड सामग्री (Crushed material) का परिवहन/निर्यात राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन किया जा सकेगा। राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं एवं विशेष परिस्थितियों में शासन की अनुमति के उपरान्त आर०बी०एम० (बालू, बजरी एवं बोल्डर) का राज्य से बाहर परिवहन/निर्यात की अनुमति होगी, जिसके लिए ई–फार्म एम०एम०–11 (ओ/एस) निर्गत किये जायेंगे।

आज्ञा से,

(शैलेश बगौली)
सचिव

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग-1
संख्या: 2018 /VII-1/16/80-ख/2016
देहरादून:दिनांक: 2 जनवरी, 2017

अधिसूचना

अधिसूचना संख्या-1187/औ०वि०/2001-22ख/2001 दिनांक 30.4.2001 के क्रम में उत्तराखण्ड राज्य में खनिज विकास को प्रोत्साहित किये जाने हेतु उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2001, जिसमें समय-समय पर अग्रेत्तर संशोधन किये गये हैं, के नियम-3 में किये गये अतिरिक्त प्रतिस्थापित प्रावधान का निम्नवत् स्पष्टीकरण किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र० सं०	वर्तमान प्रावधान (अतिरिक्त प्रतिस्थापित प्राविधान)	अतिरिक्त प्रतिस्थापित प्राविधान का स्पष्टीकरण
1.	उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्र एवं मैदानी क्षेत्रों में स्वयं की निजी नापभूमि में स्थल विकास करने के उद्देश्य से पहाड़ी के कटान, बेसमेंट की खुदाई अथवा भूमि के समतलीकरण किये जाने पर निकलने वाली साधारण मिट्टी को उसी निजी नापभूमि के प्लाट या अपने ही किसी अन्यत्र भूखण्ड (प्लाट) पर ले जाता है तो वह खनन की श्रेणी में नहीं आयेगा, और इस प्रकार उक्त के सम्बन्ध में ई०आई०ए० की बाध्यता नहीं होगी, इस हेतु जे०सी०बी० का प्रयोग किया जा सकता है तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह प्रकिया केवल स्वयं के निजी नाप भूमि के प्रयोजन हेतु निकलने वाली साधारण मिट्टी पर ही लागू होगी। अन्य खनन संक्रियाओं पर यह लागू नहीं होगी। यदि उपरोक्तानुसार निजी भूमि के भूखण्ड (प्लाट) से साधारण मिट्टी किसी अन्यत्र स्थान पर व्यवसायिक उपयोग हेतु परिवहन की जाती है, तो उक्त व्यक्ति को नियमावली की प्रथम अनुसूची में तत्समय विनिर्दिष्ट दरों पर रायल्टी का भुगतान करना होगा। उत्तराखण्ड खनिज नीति, 2011 के बिन्दु संख्या-2 के प्रस्तर-7 के अधीन पूर्वानुमति प्राप्त करनी होगी।	उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्र एवं मैदानी क्षेत्रों में स्वयं की निजी नापभूमि में स्थल विकास करने के उद्देश्य से पहाड़ी के कटान, बेसमेंट की खुदाई अथवा भूमि के समतलीकरण किये जाने पर निकलने वाली साधारण मिट्टी को उसी निजी नापभूमि के प्लाट या अपने ही किसी अन्यत्र भूखण्ड (प्लाट) पर ले जाता है तो वह खनन की श्रेणी में नहीं आयेगा, और इस प्रकार उक्त के सम्बन्ध में ई०आई०ए० की बाध्यता नहीं होगी, इस हेतु जे०सी०बी० का प्रयोग किया जा सकता है तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह प्रकिया केवल स्वयं के निजी नाप भूमि के प्रयोजन हेतु निकलने वाली साधारण मिट्टी पर ही लागू होगी। अन्य खनन संक्रियाओं पर यह लागू नहीं होगी। यदि उपरोक्तानुसार निजी भूमि के भूखण्ड (प्लाट) से साधारण मिट्टी किसी अन्यत्र स्थान पर व्यवसायिक उपयोग हेतु परिवहन की जाती है, तो उक्त व्यक्ति को नियमावली की प्रथम अनुसूची में तत्समय विनिर्दिष्ट दरों पर रायल्टी का भुगतान करना होगा। **स्पष्टीकरण** उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों में भवन निर्माण हेतु भवनों के बेसमेन्ट से निकलने वाली साधारण मिट्टी एवं वेस्ट मैटेरियल को रखने की व्यवस्था यदि भवन स्वामी के पास नहीं है, और वह उसका व्यवसायिक उपयोग नहीं करता है तो उसे

		रखने हेतु स्थानीय प्रशासन की अनुमति से सम्बन्धित तहसील के तहसीलदार द्वारा घोषित डम्पिंग जोन में संरक्षित किया जायेगा, जिसका उपयोग भविष्य में मैदान/हैलीपैड आदि बनाने में उपयोग किया जायेगा। यह प्रकिया केवल स्वयं के भवन निर्माण के प्रयोजन हेतु निकलने वाली साधारण मिट्टी एवं वेस्ट मैटेरियल पर ही लागू होगी, इस हेतु रायल्टी में छूट प्रदान की जाती है। डम्पिंग जोन के अतिरिक्त साधारण मिट्टी एवं वेस्ट मैटेरियल का अन्यत्र भरान हेतु उपयोग किये जाने पर उपयोगकर्ता द्वारा साधारण मिट्टी की रायल्टी देय होगी।

आज्ञा से,

(शैलेश बगौली)
सचिव

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–1
संख्या: 1582/VII-1/2017/31ख/17
देहरादून: दिनांक: 31 अक्टूबर, 2017

अधिसूचना

राज्यपाल, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 97 वर्ष 1957) की धारा 15 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) नियमावली, 2001 में अग्रेत्तर संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, अर्थात –

उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017

संक्षिप्त नाम, प्रसार तथा प्रारम्भ

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
(3) इसका प्रसार समस्त उत्तराखण्ड में होगा।

नियम 23 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) नियमावली, 2001, जिसे यहां आगे मूल नियमावली कहा गया है, के नियम 23 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
23 नीलाम/निविदा/नीलाम एवं निविदा पट्टे के लिये क्षेत्र की घोषणा :	23. नीलाम/निविदा/नीलाम एवं निविदा/ई–नीलाम/ई–निविदा/ई–निविदा एवं सह ई–नीलामी पट्टा के लिये क्षेत्र की घोषणा :
(1) राज्य सरकार सामान्य अथवा विशिष्ट आदेश द्वारा ऐसी किसी क्षेत्र अथवा क्षेत्रों की, जिसे या जिन्हें नीलाम करके निविदा द्वारा या नीलाम एवं निविदा द्वारा पट्टे पर दिया जा सकता है, घोषणा कर सकती है।	(1) राज्य सरकार या निदेशक सामान्य अथवा विशिष्ट आदेश द्वारा ऐसी किसी क्षेत्र अथवा क्षेत्रों की, जिसे या जिन्हें नीलाम करके निविदा द्वारा या नीलाम एवं निविदा एवं ई–नीलाम/ई–निविदा/ई–निविदा एवं सह ई–नीलामी पट्टे पर दिया जा सकेगा, घोषणा कर सकेगी।
(2) राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस निमित्त जारी किये गये निर्देशो के अधीन रहते हुये, किसी भी क्षेत्र या क्षेत्रों को एक बार में पांच वर्ष से अधिक के लिये नीलाम करने या निविदा द्वारा नीलाम एवं निविदा द्वारा पट्टे पर नहीं दिया जायेगा। किन्तु प्रतिबंध यह है कि एक बार में स्वस्थाने चट्टान किस्म के खनिज निक्षेप के सम्बन्ध में अवधि पांच वर्ष और नदी तल खनिज निक्षेप के सम्बन्ध में एक वर्ष होगी।	(2) राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस निमित्त जारी किये गये निर्देशों के अधीन रहते हुये, किसी भी क्षेत्र या क्षेत्रों को एक बार में ई– निविदा सह ई–नीलामी द्वारा नदी तल उपखनिजों के चुगान/खनन पट्टा 05 वर्ष की अवधि के लिये स्वीकृत किये जायेंगे। स्वस्थाने प्रकृति के औद्योगिक उपखनिज (सोपस्टोन को छोड़कर) के खनन क्षेत्र, जिनका क्षेत्रफल 2.00 है0 से 5.00 है0 हेतु 10 वर्ष, 5.00 है0 से 10 है0 तक 15 वर्ष तथा 10 है0 से अधिक क्षेत्रफल हेतु 25 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत किये जायेंगे। पट्टे की अवधि की गणना आशय पत्र अर्थात् राज्य सरकार द्वारा प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक (ऐसा सफल ई–नीलामी बोलीदाता, जो अधिकतम वार्षिक नीलामी बोली का 10 प्रतिशत धनराशि जमा कर दिया हो) के पक्ष में निर्गत

	ऐसा आदेश, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र हेतु निर्धारित समयावधि में वांछित अनुमतियां प्राप्त किये जाने का उल्लेख हो, जारी होने की तिथि से की जायेगी।
(3) उप नियम (1) के अधीन किसी क्षेत्र अथवा क्षेत्रों की घोषणा किये जाने पर, इस नियमावली के अध्याय 2, 3 और 6 के उपबन्ध उस क्षेत्र अथवा क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगे जिसके या जिनके सम्बन्ध में घोषणा जारी कर दी गयी है। ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों को इस अध्याय में वर्णित प्रकिया के अनुसार पट्टे पर दिया जा सकता है।	(3) उप नियम (1) के अधीन किसी क्षेत्र अथवा क्षेत्रों की घोषणा किये जाने पर, इस नियमावली के अध्याय 2, 3 और 6 के उपबन्ध उस क्षेत्र अथवा क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगे जिसके या जिनके सम्बन्ध में घोषणा जारी कर दी गयी है। ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों को इस अध्याय में वर्णित प्रकिया के अनुसार पट्टे पर दिया जा सकेगा।
(4) जिला अधिकारी, उप नियम (1) के अधीन घोषित क्षेत्र या क्षेत्रों को निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड या उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा यथास्थिति, नीलाम या निविदा या नीलाम एवं निविदा के लिये निर्धारित दिनांक के पूर्व न्यूनतम बोली या प्रस्ताव निर्धारित करने के लिये खनिज के गुण और मात्रा का मूल्यांकन करायेगा।	(4) उप नियम (1) के अधीन घोषित क्षेत्र या क्षेत्रों को उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति यथा भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, सिंचाई विभाग (केवल नदी तल क्षेत्रों हेतु), वन विभाग या अन्य कोई विभाग आवश्यक हो तो, निर्धारित दिनांक के पूर्व न्यूनतम बोली या प्रस्ताव निर्धारित करने के लिये खनिज के गुण और मात्रा का मूल्यांकन कर जिलाधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी तथा जिलाधिकारी द्वारा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई को, ई–नीलाम/ई–निविदा/ ई–निविदा एवं सह ई–नीलामी हेतु प्रेषित किया जायेगा।

नियम 24 का संशोधन 3 मूल नियमावली के नियम 24 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
24. नीलाम या निविदा या नीलाम एवं निविदा से क्षेत्र का वापिस लिया जाना : राज्य सरकार घोषणा, द्वारा नियम 23 के उप नियम (1) के अधीन घोषित किसी क्षेत्र या क्षेत्रों या उसके किसी भाग को निर्दिष्ट पट्टे पर देने की किसी प्रथा से वापस ले सकती है और घोषणा में विनिर्दिष्ट वापसी दिनांक से, जो इस अध्याय के अधीन दिये गये पट्टे की साधारण अवधि के दौरान वापसी का दिनांक न होगा, इस नियमावली के अध्याय 2, 3 और 6 के उपबन्ध उस क्षेत्र या क्षेत्रों पर लागू होंगे।	24. ई–नीलाम/ई–निविदा/ई–निविदा, सह ई–नीलामी पट्टा से क्षेत्र का वापस लिया जाना : राज्य सरकार घोषणा, द्वारा नियम 23 के उप नियम (1) के अधीन घोषित किसी क्षेत्र या क्षेत्रों या उसके किसी भाग को निर्दिष्ट पट्टे पर देने की किसी प्रथा से वापस ले सकेगी और घोषणा में विनिर्दिष्ट वापसी दिनांक से, जो इस अध्याय के अधीन दिये गये पट्टे की साधारण अवधि के दौरान वापसी का दिनांक न होगा, इस नियमावली के अध्याय 2, 3 और 6 के उपबन्ध उस क्षेत्र या क्षेत्रों पर लागू होंगे।

नियम 25 का संशोधन 4 मूल नियमावली के नियम 25 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
25. नीलाम या निविदा या नीलाम एवं निविदा के लिये घोषित क्षेत्र या क्षेत्रों का रजिस्टर : जिला अधिकारी, नियम 23 के उप नियम (1) के अधीन क्षेत्रों का एक रजिस्टर प्रपत्र एम0एम0 5 में रखवायेगा।	25. नीलाम/निविदा/नीलाम एवं निविदा/ई–नीलाम / ई–निविदा/ ई–निविदा एवं सह ई–नीलामी पट्टा के लिये घोषित क्षेत्र या क्षेत्रों का रजिस्टर : खान अधिकारी/खान निरीक्षक नियम 23 के उप नियम (1) के अधीन क्षेत्रों का एक रजिस्टर प्रपत्र एम0एम0 5

में रखवायेगा।

नियम 26 का संशोधन 5 मूल नियमावली के नियम 26 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
26. पट्टे के देने पर निर्बन्धन : किसी व्यक्ति को, जो भारतीय राष्ट्रिक नहीं है या जिसके खिलाफ खनिज देय बकाया है, नीलाम की बोली बोलने की या पट्टे के लिये निविदा प्रकिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी।	26. पट्टे के देने पर निर्बन्धन : किसी व्यक्ति को, जो भारतीय राष्ट्रिक नही है, जिसके विरुद्ध खनिज देय बकाया है, जिसने उस जिले के जिलाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी जहां वह स्थायी रूप से निवास करता है से चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त नही किया है, जिसने अपने आधार कार्ड प्रति प्रस्तुत न की हो। किसी व्यक्ति/फर्म/कम्पनी, जो किसी भी राज्य में निहित तिथि (जिस तिथि को निविदा प्रक्रिया में भाग लिया जायेगा) को ब्लैक लिस्टेड/डिबार्ड नहीं है, इस आशय का एक हस्ताक्षरित पत्र भी निविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाले व्यक्ति/फर्म/कम्पनी द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त फर्म एवं कम्पनी के मामले में, जिसने पैन कार्ड जी0एस0टी0 पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किया हो, नीलाम/निविदा/नीलाम एवं निविदा/ई–नीलाम /ई–निविदा/ई–निविदा एवं सह ई–नीलामी की बोली बोलने या पट्टे के लिये निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

नियम 27 का संशोधन 6 मूल नियमावली के नियम 27 में नियम 27ख के पश्चात एक नया नियम 27ग निम्नवत अंत:स्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्–

27.ग ई–निविदा सह ई–नीलामी द्वारा पट्टे की स्वीकृति की प्रक्रिया :–

1–ऑन लाईन पंजीकरण की कार्यवाही :

(1) राज्य क्षेत्रान्तर्गत चिन्हित उप खनिज (सोपस्टोन को छोड़कर) लाटों को निजी व्यक्तियों/निजी व्यक्तियो की कॉपरेटिव समिति/फर्म/कम्पनी को परिहार पर स्वीकृत करने की प्रकिया ऑनलाइन सम्पन्न की जायेगी। खनिज लाटों का आवंटन ई–निविदा सह ई–नीलामी के माध्यम से सम्पन्न किया जायेगा।

(2) उपखनिज (सोपस्टोन को छोड़कर) पट्टा स्वीकृत होने की समस्त कार्यवाही करने हेतु शासन, निदेशालय व जनपद स्तर पर नोडल अधिकारी नामित किये जायेंगे, जिन्हें डिजिटल हस्ताक्षर प्राप्त करने होंगे व उनके द्वारा आनलाईन कार्यवाही की जायेगी।

(3) उपखनिज (सोपस्टोन को छोड़कर) पट्टा संबंधी आशय पत्र, शासनादेश तथा पट्टादिलेख मे यूनीक आई0डी0 नम्बर होगा जिसके आधार पर विभिन्न स्तर के नोडल अधिकारियों द्वारा कार्यवाही की जायेगी।

(4) इच्छुक आवेदकों के लिए ऑन लाईन बिड/बोली हेतु डिजीटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC)

आवश्यक है।

(5) आवेदक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड की वेबसाइट www.dgm.uk.gov.in में जाकर अपने आनलाईन पंजीकरण की कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त ही ई–निविदा सह ई–नीलामी की प्रकिया में भाग ले सकेंगें।

(6) पंजीकरण हेतु निजी व्यक्ति/निजी व्यक्तियों की समिति /फर्म/कम्पनी को विभागीय पोर्टल में जाकर ऑन लाईन पंजीकरण प्रपत्र भरकर आवश्यक वांछित अभिलेख स्कैन कर यथा स्थान अपलोड करना होगा व पंजीकरण शुल्क 5,000 (पांच हजार) + जी0एस0टी सहित+ आयकर, विभागीय पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से ऑन लाईन जमा करने के उपरान्त पंजीकरण प्रपत्र सबमिट करना होगा। ऑन लाईन प्रपत्र सबमिट होने के उपरान्त आवेदक को यूनीक नम्बर स्वतः आवंटित हो जायेगा। निदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पंजीकरण प्रपत्रों की जांच करने के उपरान्त ऑन लाईन स्वीकृति प्रदान करते ही आवेदक को विभागीय वेवसाईट पर लॉगइन करने हेतु स्वतः जनित यूजर आई0डी0 तथा पासवर्ड एस0एम0एस0 के माध्यम से जारी कर दिया जायेगा।

(7) पंजीकरण हेतु आवश्यक अभिलेखः पंजीकरण हेतु बिडर्स द्वारा स्वप्रमाणित निम्न अभिलेख/प्रमाण पत्र स्कैन कर भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड के पोर्टल www.dgm.uk.gov.in पर यथास्थान अपलोड करना अनिवार्य होगा:–

(एक) आवेदक का आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र की प्रति, फर्म की दशा में फर्म के भागीदारों के आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र की प्रति तथा कम्पनी के मामलें में कारपोरेट अफेयर्स मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक का Director Identification Number (DIN) के प्रमाण–पत्र की प्रति तथा कॉपरेटिव सोसाइटी के सम्बन्ध में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सचिव का मतदाता पत्र।

(दो) स्थायी निवास प्रमाण पत्र।

(तीन) आवेदक का अद्यावधिक चरित्र प्रमाण पत्र, समिति व फर्म के मामले में भागीदारों के इस आशय का शपथ पत्र कि समिति या कम्पनी को किसी अपराधिक वाद में दण्डित नही किया गया है। चरित्र प्रमाण पत्र उस जिले के जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त होगा, जहाँ आवेदक स्थायी रूप से निवास करता हों।

(चार) आवेदक के पैन कार्ड की प्रति।

(पांच) आवेदक के जी0एस0टी0 नं0 की प्रति।

(छः) बैंक खाते का विवरण, जिससे ई–निविदा सह ई–नीलामी से सम्बन्धित समस्त वित्तीय हस्तान्तरण किया जायेगा, यथा बैंक व शाखा का नाम, खाता संख्या, आई0एफ0एस0सी0 कोड, तथा एक निरस्त चेक की प्रति,

(सात) निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का जारी किया गया खनन अदेयता प्रमाण पत्र। जहाँ आवेदक राज्य के भीतर कोई खनिज परिहार धारित नहीं करता हो, वहाँ इस आशय के शपथ पत्र की प्रति।

(आठ) कोपरेटिव सोसाइटी के सम्बन्ध में कॉपी ऑफ रेज्यूलेशन के समस्त पृष्ठों की स्वप्रमाणित प्रति। भागीदारी फर्म के सम्बन्ध में भागीदारी विलेख एवं फर्म के पंजीकरण। कम्पनी के मामले में आर्टिकल ऑफ एसोशियेशन की प्रति।

(नौ) किसी भी राज्य में खनन संक्रियाओं की काली सूची में न होने सम्बन्धी शपथ पत्र।

(8) पंजीकृत बोलीदाता को विभाग के पोर्टल पर अपना पंजीकरण अपडेट रखने की जिम्मेदारी होगी। इस हेतु पंजीकृत बोलीदाता को चरित्र प्रमाण पत्र एवं खनन अदेयता प्रमाण पत्र आदि सदैव अद्यतन रखने आवश्यक होगें अन्यथा की स्थिति में पंजीकृत बोलीदाता का पंजीकरण स्वतः निलम्बित हो जायेगा तथा ऐसा निलम्बित पंजीकृत बोलीदाता ई–निविदा सह ई–नीलामी की प्रकिया से बाहर हो जायेगा। अतः पंजीकृत बोलीदाता को अपना पंजीकरण समय–समय पर नवीनीकरण कराना आवश्यक होगा।

(9) पंजीकरण का नवीनीकरण वार्षिक शुल्क रू0 1,000 (एक हजार)+ जी0एस0टी सहित+ आयकर, विभागीय पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से ऑन लाईन देय होगा।

(10) ई–निविदा सह ई–नीलामी में प्रतिभाग करने हेतु आवश्यक अन्य अभिलेख एवं धनराशि :

1. शुल्क– ई–निविदा सह ई–नीलामी में इच्छुक प्रतिभागी खनिज लाट हेतु निर्धारित शुल्क मैदानी क्षेत्रों के लिये रू0 1,00,000/–(रू0 एक लाख मात्र) तथा पर्वतीय क्षेत्रों के लिये 50,000/– (रू0 पचास हजार मात्र) विभागीय पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से जमा कराकर एवं GST व आयकर आगणित कर संबंधित विभागों के लेखाशीर्षक में जमाकराकर चलान/रसीद की स्कैन प्रति अपलोड कर प्रेषित की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण दायित्व आवेदक का होगा। निर्धारित शुल्क विज्ञप्ति में प्रकाशित खनन

लॉटवार पृथक–पृथक जमा किया जाना होगा।

2. धरोहर राशि (Earnest Money): किसी क्षेत्र के ई–निविदा सह ई–नीलामी हेतु बिडर्स को बिड में भाग लेने से पूर्व प्री बिड Earnest Money जमा करना अनिवार्य होगा, जिसकी गणना क्षेत्र में वार्षिक आंकलित खनन योग्य अधिकतम मात्रा एवं उपखनिज (सोपस्टोन को छोड़कर) की वर्तमान प्रचलित रायल्टी दर का गुणा कर आगणित की जायेगी। उपखनिज क्षेत्रों हेतु प्री बिड Earnest Money उपरोक्त आगणित धनराशि की 25 प्रतिशत होगी।

उदाहरणार्थः– धरोहर राशि (Earnest Money) –खनिज क्षेत्र की अधिकतम खनन योग्य आंकलित मात्रा x प्रचलित रॉयल्टी दर का 25 प्रतिशत।

3. हैसियत प्रमाण पत्र– वार्षिक आंकलित खनन योग्य अधिकतम मात्रा का तत्समय प्रचलित रायल्टी के गुणांक का 25 प्रतिशत धनराशि निम्नानुसार प्रारूप में देय होगा :–

जिलाधिकारी या जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की गई हैसियत प्रमाण पत्र या सम्पत्ति प्रमाण–पत्र या सगाशोधन क्षमता प्रमाण–पत्र (Solvency Certificate) अथवा बैंक गारण्टी क्षेत्र की वार्षिक आंकलित खनन योग्य अधिकतम मात्रा पर प्रचलित खनिज रॉयल्टी के गुणांक का 25 प्रतिशत के बराबर।

उदाहरणार्थः–हैसियत=खनिज क्षेत्र की अधिकतम खनन योग्य आंकलित मात्रा x प्रचलित रॉयल्टी दर का 25 प्रतिशत।

या

यदि हैसियत प्रमाण–पत्र अद्यतन न हो तो, इस शर्त के साथ अन्तरिम रूप से स्वीकार किया जायेगा कि आवेदक इसका शपथ पत्र प्रस्तुत करे कि इस दौरान (हैसियत प्रमाण–पत्र की तिथि से अद्यतन) नीलामी बोलीदाता के द्वारा संलग्न हैसियत प्रमाण पत्र में अंकित चल/अचल सम्पत्ति का विक्रय/हस्तान्तरण नहीं किया गया है

या

हैसियत प्रमाण–पत्र के एवज में इसी मूल्य की बैंक गारण्टी स्वीकार की जा सकेगी

या

यदि किसी आवेदक के पास अचल सम्पत्ति

नहीं है, तो वह अपने परिवार के सदस्य/सदस्यों की सम्पत्ति को लाईसेंसिंग प्राधिकारी के नाम बन्धक (Mortgage) पर हैसियत प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है

या

हैसियत प्रमाण पत्र की राशि में कमी की राशि के एवज में कमी की राशि के बराबर राशि एफ०डी०आर० (नियमानुसार निर्धारित बैंकों से बने) जो निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के नाम प्रतिश्रुत होंगे, जमा कराये जा सकेंगे।

उपरोक्तानुसार हैसियत प्रमाण पत्र की प्रति।

(11) ई– निविदा सह ई–नीलामी की प्रकिया:–

विज्ञप्ति का प्रकाशन : घोषित रिक्त उपखनिज (सोपस्टोन को छोड़कर) क्षेत्रों को निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा ई–निविदा सह ई–नीलामी के माध्यम से खनन पट्टे पर दिये जाने के लिये विज्ञप्ति प्रकाशित की जायेगी। विज्ञप्तिऐसे दो दैनिक हिन्दी समाचार पत्र जिसका उस क्षेत्र में व्यापक परिचालन हो, जिसमें वह क्षेत्र स्थित हो, प्रकाशित की जायेगी तथा ई–निविदा सह ई–नीलामी हेतु ऑन लाईन आवेदन आमंत्रित किये जायेगें तथा विज्ञप्ति को ई–नीलामी पोर्टल "uktenders.gov.in" के साथ–साथ विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किया जायेगा। इसके अतिरिक्त विभाग के मुख्यालय, जिलाधिकारी कार्यालय, विभाग के जनपद स्तरीय कार्यालय तथा तहसील के सूचना पट पर विज्ञप्ति चस्पा की जायेगी जिसमें वह खनन क्षेत्र अवस्थित है। राष्ट्रीय नीलामी के प्रकरणों में दो दैनिक सर्वाधिक लोकप्रिय राष्ट्रीय समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित की जायेगी। प्रथम चरण में ई–निविदा की अधिकतम निकासी मात्रा का आगणन भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग द्वारा किया जायेगा। उक्त अधिकतम आगणित निकासी मात्रा की 50 प्रतिशत मात्रा को न्यूनतम निकासी मात्रा कहा जायेगा।

<u>प्रथम चरण</u> :–

1. प्रथम चरण में ई–निविदा की प्रक्रिया सम्पन्न की जायेगी जिस हेतु इच्छुक बोलीदाता द्वारा विज्ञप्ति में निर्धारित तिथि एंव समय के अन्तर्गत ई–निविदा आनलाइन प्रस्तुत की जानी होगी। विज्ञप्तिकरण में उपखनिज (सोपस्टोन को छोड़कर) क्षेत्र की न्यूनतम निकासी एवं अधिकतम निकासी की मात्रा वर्तमान एक खनन सत्र हेतु प्रकाशित की जायेगी।

2. प्रथम चरण में, इच्छुक निविदादाता द्वारा ऑन लाईन ई–निविदा हेतु न्यूनतम निकासी मात्रा से अधिक मात्रा,परन्तु अधिकतम निकासी मात्रा से अनाधिक निविदा ही अंकित की जा सकती है। न्यूनतम निकासी मात्रा से अधिक मात्रा अंकित करने वाले तीन निविदादाताओं का होना आवश्यक होगा। न्यूनतम घोषित मात्रा से अधिक मात्रा अंकित करने वाले निविदादाताओं की संख्या अधिक होने की दशा में उच्चतम पांच मात्रा प्रस्तुत करने वाले निविदादाताओं को सफल घोषित किया जायेगा।
3. किसी चुगान क्षेत्र के लिए उच्चतम पांच, अधिकतम मात्रा दी गयी निविदा वाले, निविदा दाताओं का निर्धारण किये जाने में यदि किसी निश्चित उपखनिज (सोपस्टोन को छोड़कर) मात्रा के लिए दो या दो से अधिक निविदायें प्राप्त होती है तो उसके अनुसार अधिकतम पांच उपखनिज (सोपस्टोन को छोड़कर) मात्राओं के लिए निविदा देने वाले सभी निविदादाताओं को अगले चरण हेतु Qualify किया जायेगा।
4. क्षेत्रफल के आधार पर बिन्दु संख्या –ख (8) में वर्गीकृत वर्गो में वांछित न्यूनतम वर्णित अर्ह बोलीदाता उपलब्ध न होने की दशा में सबधित उपखनिज (सोपस्टोन को छोड़कर) क्षेत्र अगले उच्च वर्ग के बोली दाता हेतु 07 दिन की अल्पावधि की विज्ञप्ति के उपरान्त पुनः प्रथम चरण की ई–निविदा प्रकिया के उपलब्ध होगा। अगले उच्च वर्ग के अर्ह बोलीदाता द्वारा प्रतिभाग किये जाने ई–निविदा सह ई–नीलामी प्रकिया पुनः सम्पन्न की जायेगी।
5. प्रथम चरण में ई–निविदा में प्राप्त अधिकतम चाही गयी अंकित मात्रा को उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 में तत्समय प्रचलित रायल्टी की दर से गुणा कर द्वितीय चरण की ई–नीलामी की न्यूनतम बोली धनराशि (Floor price) निर्धारित किया जायेगा।

   उदाहरणार्थ :– न्यूनतम बोली धनराशि (Floor price) = प्रथम चरण में ई–निविदा में प्राप्त सर्वोच्च घोषित मात्रा X तत्समय प्रचलित रायल्टी की दर।
6. उच्चतम पांच उपखनिज (सोपस्टोन को छोड़कर) मात्रा प्रस्तुत करने वाले सफल

निविदादाताओं का निर्धारण कर विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित किया जायेगा।

7. अन्य ई–निविदादाताओं की प्री बीड अर्नेस्ट मनी वापस कर दी जायेगी।

<u>द्वितीय चरण–</u>

1. प्रथम चरण में सफल ई–निविदादाता, द्वितीय चरण की ई–नीलामी के लिए निर्धारित न्यूनतम बोली की धनराशि (Floor price)के ऊपर ऑन लाईन नीलामी बोली, निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा पूर्व निर्धारित तिथि एवं समयावधि के अन्तर्गत प्रस्तुत करेंगे। इस चरण के अन्तर्गत प्रथम चरण के सफल घोषित ई–निविदादाता अपने यूजर आई0डी0 एवं डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से लागइन कर द्वितीय चरण की ई–नीलामी प्रकिया में आनलाईन प्रतिभाग कर सकेंगे।
2. प्रत्येक बोलीदाता को आधार मूल्य (Floor price) का 0.5 (दशमलव पांच) प्रतिशत कीवृद्धि के साथ अग्रेत्तर उच्चतर बोली प्रस्तुत करने की बाध्यता होगी।
3. सभी प्रतिभागी बोलीदाताओं की पहचान परस्पर गुप्त रखी जायेगी तथा ई–नीलामी की समस्त प्रकिया की उच्चतम बोली प्रदर्शित होती रहेगी जो गतिशील रहेगी एवं अगली उच्चतर बोली प्राप्त होते ही परिवर्तित होती रहेगी। एक समय की उच्चतम बोली सभी प्रतिभागियों को उनके स्कीन पर प्रदर्शित होती रहेगी। प्रतिभागी परस्पर उच्चतर बोलियां प्रस्तुत कर पूर्व निर्धारित समयान्तर्गतकई बार प्रतिभाग कर सकते हैं।
4. ई–नीलामी की ऑन लाइन प्रकिया में स्कीन पर समय–समय की अधिकतम बोली प्रदर्शित होती रहेगी और प्रदर्शित बोली से अधिक बोली ऑनलाईन ही दी जा सकती है। पूर्व निर्धारित समय पूर्ण होते ही बोली की प्रकिया स्वतः समाप्त हो जायेगी और उसके उपरान्त कोई बोली नही दी जा सकती है। परन्तु, बोली के पूर्व निर्धारित समय के अन्तिम पांच मिनट के अन्तर्गत यदि कोई उच्चतर बोली प्राप्त होती है, तो नीलामी की बोली का समय स्वतः अग्रेत्तर पांच मिनट की समयावधि आगणित कर उस अवधि तक के लिए बढ़ जायेगी। यह प्रकिया तब तक जारी रहेगी जब तक पांच मिनट के अन्तराल के अर्न्तगत मे कोई अन्य अग्रेत्तर उच्च बोली प्राप्त नही होती है।

5. द्वितीय चरण की बोली समाप्त होने के उपरान्त ई–नीलामी में अधिकतम बोली प्रस्तुत करने वाले बोलीदाता को उच्चतन बोलीदाता (H1) घोषित किया जायेगा तथा अन्य बोलीदाताओं को अवरोही क्रम में H2, H3, H4....घोषित किया जायेगा। ई–निविदा सह ई–नीलामी का परिणाम विभागीय वैवसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा।

नियम 28 का संशोधन 7 मूल नियमावली के नियम 28 के पश्चात एक नया नियम 28क निम्नवत अंतःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्–

28.क– ई–निविदा सह ई नीलामी से पट्टे का दिया जाना :

1. द्वितीय चरण की बोली समाप्त होने के उपरान्त उच्चतम बोलीदाता द्वारा दी गयी वार्षिक ई–नीलामी बोली धनराशि का दस प्रतिशत (10%) "सफल बोलीदाता धनराशि" तीन दिन के अन्तर्गत विभागीय payment gate wayके माध्यम से ऑन–लाईन जमा करने के उपरान्त सफल बोलीदाता घोषित किया जायेगा।
2. H1 के असफल होने की दशा में उसकी अर्नेस्ट मनी को जब्त करते हुए कोटिक्रम में द्वितीय ई–नीलामी बोलीदाता H2 को उसकी बोली के मूल्य का दस प्रतिशत कार्य दिवसों के अन्तर्गत जमा कराये जाने का अवसर प्रदान कराया जायेगा, उसके भी असफल होने की दशा में उसकी अर्नेस्ट मनी जब्त करते हुए उत्तरोत्तर कोटिक्रम का अनुपालन करते हुए अन्तिम सफल बोलीदाता तक प्रकिया सम्पन्न कर सफल पाये गये सफल ई–नीलामी बोलीदाता की घोषणा निदेशक द्वारा की जायेगी। सभी ई–नीलामी बोलीदाताओं के असफल होने की दशा में उनके द्वारा जमा अर्नेस्ट मनी को जब्त करते हुए ई–नीलामी बोली की प्रकिया को समाप्त घोषित किया जायेगा तथा खनन पट्टे हेतु ई–निविदा सह ई–नीलामी की प्रक्रिया सात दिन की अल्पावधि की विज्ञप्ति के उपरान्त पुनः प्रारम्भ की जायेगी।
3. सफल ई–नीलामी बोलीदाता द्वारा अधिकतम वार्षिक नीलामी बोली का दस प्रतिशत (10%) "प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक धनराशि" (बिन्दु (2) के अतिरिक्त) सात कार्य दिवसों के अन्दर विभागीय पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से ऑन–लाईन जमा करने के उपरान्त प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक

अर्थात् ऐसा सफल ई–नीलामी बोलीदाता, जो अधिकतम वार्षिक नीलामी बोली का 10 प्रतिशत धनराशि जमा कर दिया हो, घोषित किया जायेगा।

4. प्रस्तर संख्या (1) के अनुसार घोषित उच्चतम बोलीदाता (H1) द्वारा प्रस्तर संख्या (2) व (4) में से किसी स्तर पर निर्धारित समयान्तर्गत कार्यवाही न किये जाने के फलस्वरूप असफल होने की दशा में बिन्दु संख्या (3) के अनुसार निर्धारित H2 व कोटीक्रमानुसार अवसर प्रदान करते हुये उपरोक्तानुसार वर्णित विधि से खनन पट्टा आवंटन की प्रक्रिया सम्पन्न की जायेगी।

5. प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों की जांच के उपरान्त तीन कार्य दिवसों के अन्तर्गत निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित ऑनलाइन आख्या शासन को प्रेषित की जा सकेगी तथा राज्य सरकार द्वारा प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक के पक्ष में ऑनलाइन "आशय पत्र" जारी किया जा सकेगा। आशय पत्र क्षेत्र का नियम–17 के प्राविधानानुसार सीमाबन्धन किये जाने तथा खनन योजना, पर्यावरणीय अनुमति, वन भूमि हस्तान्तरण (यदि आवश्यक हो) एन0बी0डब्ल्यू0एल0 (यदि आवश्यक हो) की अनुमति प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक द्वारा प्राप्त किये जाने हेतु 50.00 है0 तक के क्षेत्रफल हेतु आशय पत्र 06 (छः) माह की अवधि का एवं 50.00 है0 क्षेत्रफल से अधिक हेतु 01 (एक) वर्ष की अवधि का निर्गत किया जायेगा।

6. आशय पत्र प्राप्त होने के उपरान्त वन भूमि के संबंध में सर्वप्रथम प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अधीन वन भूमि हस्तान्तरण संबंधी अनुमति, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त की जायेगी।

7. प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक को विभाग द्वारा अधिकृत आर0क्यू0पी0 से खनन योजना तैयार कराकर व निर्धारित लेखा शीर्षक में खनन योजना अनुमोदन शुल्क जमा कर निदेशक को आनलाईन प्रस्तुत की जायेगी। निदेशक द्वारा सात दिन के अन्दर खनन योजना का अनुमोदन किया जा सकेगा।

8. प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक को खनन पट्टा हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा आशय पत्र प्राप्त होने के उपरान्त पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन

मंत्रालय, भारत सरकार के ई0आई0ए0 नोटिफिकेशन दिनांक 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार पर्यावरणीय अनुमति (Environmental Clearance) प्राप्त करनी होगी।

9. राष्ट्रीय पार्क के संबंध में, तत्समय प्रचलित प्राविधानों के अनुसार, दूरी के निर्धारित मानकों के अन्तर्गत पड़ने वाले खनन पट्टा क्षेत्रों हेतु एन0बी0डब्ल्यू0एल0 की अनुमति पट्टाधारक द्वारा प्राप्त की जानी होगी।

10. प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक द्वारा विभिन्न स्तर पर अपेक्षित कार्यवाही निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण न किये जाने की दशा में यह माना जायेगा कि प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक पट्टा लेने की मंशा नहीं रखता है तथा इस स्थिति में आशय पत्र निरस्त करते हुए पूर्व के समस्त जमा अग्रिम धनराशि एवं बैंक गारन्टी आदिजब्त कर राज्य सरकार के पक्ष में समाहित कर दिया जायेगा। ऐसे क्षेत्रों के सम्बन्ध में जिस स्तर पर कार्यवाही रुकी हो, उससे अग्रेत्तर कार्यवाही के सम्बन्ध में अथवा पुनः विज्ञापित किये जाने के सम्बन्ध में निदेशक द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

11. शासन, मा0 न्यायालयों एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेश बाध्यकारी होगें।

12. सफल बोलीदाता द्वारा खनन पट्टा के संबंध में की जा रही कार्यवाही के दौरान आकस्मिक निधन अथवा गम्भीर आशक्त होने की दशा में अग्रेत्तर कार्यवाही उनके विधिक वारिस द्वारा की जा सकेगी।

13. प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक को खनन योजना निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा अधिकृत Registered Qualified personnel (RQP) से तैयार कराकर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म से अनुमोदित करायी जानी होगी, जिसमें निकासी किये जाने वाले खनिज की मात्रा तथा उक्त खनिज का तकनीकी एवं पर्यावरणीय दृष्टिकोण से खनन संक्रियायें संचालित किये जाने की विधि का वर्णन निहित होगा। खनन योजना में खनन क्षेत्र के डी0जी0पी0एस0 कोर्डिनेटस का वर्णन व जियोरैफरेन्स्ड खसरा मानचित्र पर अंकन किया जाना होगा तथा खनन क्षेत्र में समाहित यथा स्थिति राजस्व भूमि, वन भूमि व निजी नाप भूमि के स्वामियों का क्षेत्रफल वार राजस्व विभाग द्वारा सत्यापित वर्णन, संलग्न किया जाना होगा। इसके अतिरिक्त सौ मीटर

की परिधि में आने वाली सभी सार्वजनिक स्थलों, समीपस्थ पुलों को प्रदर्शित करता 1:10,000 का सैटेलाईट मानचित्र संलग्न करना होगा जिसमें नदी की अद्यतन सीमा स्पष्ट रूप से चिन्हित हो तथा नदी के दोनो किनारों से निर्धारित दूरी छोड़ते हुए चिन्हित किया गया खनन योग्य क्षेत्रफल स्पष्ट रूप से दर्शाया गया हो। किसी भी खनन क्षेत्र के कोनों के डी0जी0पी0एस0 कोर्डिनेट्स आवश्यक रूप से अभिलिखित होगे व बडे खनन क्षेत्रों की दशा में प्रत्येक सौ मीटर की दूरी पर डी0जी0पी0एस0 कोर्डिनेट्स अंकित किये जाने होगें। राजस्व एवं सैटेलाईट मानचित्र पर यथास्थिति राजस्व, वन भूमि एवं निजी नाप भूमि को स्पष्ट रूप से चिन्हित किया जाना होगा। समस्त मानचित्रों की डिजिटल प्रति भी प्रेषित की जानी होगी।

14. प्रास्पेक्टिव पट्टाधारक के अलावा द्वितीय चरण के अन्य प्रतिभागियों (जब्त सुदा को छोडकर)की प्री–बीड अर्नेस्ट मनी वापिस कर दी जायेगी।

15. (क) राज्य में अधिकतम पॉच खनन पट्टे या 400 है0 से अधिक के चुगान/खनन क्षेत्र को किसी एक व्यक्ति/फर्म/समिति/कम्पनी /सोसाइटी आदि के पक्ष में स्वीकृत नही किया जायेगा। यदि किन्ही परिस्थितियों में एक व्यक्ति/फर्म/समिति/कम्पनी/सोसाइटी आदि द्वारा अपने पक्ष में 05 खनन पट्टे या 400है0 से अधिक के खनन पट्टे स्वीकृत करा लिया जाता है, तो बडे खनन पट्टा क्षेत्रफल से कम क्षेत्रफल के खनन पट्टा क्षेत्रों के क्षेत्रफल को जोडा जायेगा व 400 है0 पूर्ण होने पर अवशेष पट्टो हेतु अर्हता समाप्त मानी जायेगी व उक्त क्षेत्र समर्पित माने जायेंगे। इस प्रकार समर्पित हुए उपखनिज (सोपस्टोन को छोड़कर) क्षेत्रों के लिए H2 व कोटिक्रमानुसार कार्यवाही की जायेगी, परन्तु किसी खनन क्षेत्र का क्षेत्रफल 400 है0 से अधिक है तो उक्त दशा में एक व्यक्ति/फर्म/ कम्पनी/सोसाइटी आदि को एक खनन पट्टा स्वीकृत हो सकेगा।

(ख) एक व्यक्ति/फर्म/समिति/कम्पनी/ सोसाइटी आदि को विभाग द्वारा आगणित अधिकतम आधार मूल्य के 25 प्रतिशत हैसियत के अनुरूप ही खनन पट्टा/पट्टे आवंटित किये जा सकेगें यदि सफल बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत हैसियत उसके सफल हुये खनन पट्टो से कम आगणित पायी जाती है तो

उपरोक्तानुसार शेष सफल घोषित खनन पट्टो के लिए उसकी अर्हता समाप्त कर दी जायेगी तथा ऐसे अवशेष खनन पटटो के प्रस्तर 9 क के अनुसार अग्रेत्तर आवंटन कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी।

16. आशय पत्र निर्गत होने के उपरान्त प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक द्वारा अधिकतम वार्षिक ई–नीलामी बोली का पच्चीस प्रतिशत धनराशि "धरोहर धनराशि (Security Money)" समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कराये जाने हेतु आशय पत्र में निर्धारित समयावधि के लिए बैंक गारन्टी के रूप में निदेशक के पक्ष में सात कार्यदिवसों के अन्तर्गत बन्धक करायी जायेगी। धरोहर धनराशि जमा करने बाद प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक द्वारा जमा की गई प्री–बिड अर्नेस्ट मनी वापिस कर दी जायेगी। बैंक गारन्टी की स्कैन कॉपी सात कार्य दिवसों के अन्तर्गत विभागीय वैबसाईट पर लॉग इन कर प्रेषित की जानी आवश्यक होगी तथा मूल प्रति निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के जनपदीय कार्यालय में जमा करायी जानी होगी। यदि निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत समस्त औपचारिकतायें पूर्ण नहीं होती हैं या अग्रेत्तर समयवृद्धि राज्य सरकार द्वारा प्रदान नहीं की जाती है, तो जमा बैंक गारन्टी की धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा।

17. (क) यदि आशय पत्र में निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक द्वारा वांछित औपचारिकताऐं पूर्ण नहीं की जाती हैं तो प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक द्वारा आशय पत्र के नवीनीकरण हेतु आशय पत्र में स्वीकृत अवधि की समाप्ति से न्यूनतम पन्द्रह कार्य दिवस से पूर्व ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किया जाना होगा।

(ख) पचास हैक्टेयर के प्रोस्पैक्टिंग पट्टाधारक के आशय पत्र का छः माह के उपरान्त बिना किसी अतिरिक्त देयक के आनलाइन नवीनीकरण आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर आगामी अधिकतम छः माह हेतु नवीनीकृत किया जा सकेगा किन्तु आशय पत्र जारी होने के एक वर्ष की अवधि पूर्ण हो जाने के उपरान्त यदि आशय पत्र के अग्रेत्तर नवीनीकरण आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसी दशा में उसके द्वारा ई–नीलामी के उच्चतम बोली का 20 प्रतिशत धनराशि पुनः जमा की जानी होगी और पूर्व

प्रस्तुत 25 प्रतिशत बैंक गारन्टी को नवीनीकृत कराकर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के पक्ष में बन्धक के रूप में जमा कराना होगा। उक्त प्रकिया में अग्रेत्तर वर्ष पूर्ण होने पर समान रूप से लागू करते हुए आशय पत्र का नवीनीकरण किया जा सकेगा। इसी प्रकार 50 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल के प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक के आशय पत्र नवीनीकरण आवेदन प्रस्तुत करने पर ई–निलामी की उच्चतम बोली का 20 प्रतिशत धनराशि पुनः जमा की जानी होगी और पूर्व प्रस्तुत 25 प्रतिशत बैंक गारन्टी को नवीनीकृत कराकर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के पक्ष में बन्धक के रूप जमा कराना होगा। निदेशक द्वारा आवेदन पत्र का आनलाइन परीक्षण कर दस कार्य दिवसों के अन्तर्गत अपनी संस्तुति/असंस्तुति सहित आख्या आनलाइन शासन को प्रेषित की जा सकेगी। निदेशक की संस्तुति/असंस्तुति पर शासन द्वारा आनलाईन आशय पत्र का नवीनीकरण किया जा सकेगा।

प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक द्वारा विभिन्न स्तर पर अपेक्षित कार्यवाही निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण न किये जाने की दशा में यह माना जायेगा कि प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक पट्टा लेने की मंशा नही रखते हैं व इस स्थिति में आशय पत्र निरस्त करते हुए पूर्व मे जमा की गयी अग्रिम धनराशि तथा बैंक गारन्टी राज्य सरकार के पक्ष में समाहित कर दी जायेगी।

18. आशय पत्र में उल्लिखित समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करने के उपरान्त प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक द्वारा समस्त अभिलेख निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के पोर्टल पर ऑन लाईन जमा कराया जायेगा। निदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेखों का ऑन लाईन परीक्षण करने के उपरान्त, यदि किसी प्रकार की कमी या आपत्ति पायी जाती है, तो निदेशक द्वारा पट्टाधारक को उक्त का निश्चित समयान्तर्गत निराकरण किये जाने हेतु ऑन लाईन अवगत कराया जायेगा। प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक द्वारा कमियों एवं आपत्तियों का निरकारण आन लाईन किये जाने के उपरान्त, निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की ऑन लाईन संस्तुति पर राज्य सरकार द्वारा, खनन पट्टे के आशय पत्र में स्वीकृत कुल अवधि में से अवशेष अवधि हेतु, खनन पट्टा स्वीकृति

सम्बन्धी आदेश आन लाईन निर्गत किया जा सकेगा।

नियम 29 का संशोधन 8 (एक) मूल नियमावली के नियम 29 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
29. पट्टा विलेख का निष्पादन : (1) जब कोई बोली या प्रस्ताव अन्तिम रूप से स्वीकार कर लिया जाय तो नीलाम पट्टे के सम्बन्ध में प्रपत्र एम0एम0 6 में तथा निविदा या नीलाम एवं निविदा पट्टा के सम्बन्ध में लगभग उसके समान प्रपत्र में, जैसा कि प्रत्येक मामले की परिस्थितियों के अनुसार अपेक्षित हो, बोली बोलने वाले या निविदाकार द्वारा स्वीकृति पत्र की प्राप्ति के दिनांक से एक माह के भीतर या ऐसी अग्रेत्तर अवधि के भीतर जैसा यथास्थिति जिला अधिकारी या समिति इस निमित्त अनुमति दे, पट्टा विलेख निष्पादन किया जायेगा। यदि उपर्युक्त अवधि के भीतर ऐसा पट्टा विलेख बोली बोलने वाले या निविदाकार के किसी चूक के कारण निष्पादित न किया जाय तो बोली या निविदा स्वीकार करने का आदेश प्रतिसहरित हो जायेगा और उस दशा में बोली बोलने वाले या निविदाकार द्वारा जमा की गयी प्रतिभूति राज्य सरकार द्वारा जब्त कर ली जायेगी। (2) पट्टे की अवधि की सगणना बोली बोलने वाले या निविदाकार द्वारा बोली या निविदा द्वारा स्वीकृत–पत्र की प्राप्ति के दिनांक से की जायेगी। (3) यथास्थिति, जिला अधिकारी या समिति द्वारा क्षेत्र के मानचित्र सहित पट्टा विलेख की एक प्रतिलिपि उसके निष्पादन के दिनांक के 15 दिन के भीतर, निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड को भेजी जायेगी।	29. पट्टा विलेख का निष्पादन : (1) सरकार द्वारा खनन पट्टा स्वीकृति संबंधी आदेश जारी होने के उपरान्त Performance guarantee अर्थात् स्वीकृत खनन क्षेत्र हेतु अधिकतम वार्षिक ई–नीलामी बोली की धनराशि का पच्चीस प्रतिशत, निर्धारित विभागीय पेमेन्ट गेटवे के द्वारा सात कार्यदिवसों के अन्तर्गत जमा किया जायेगा। वार्षिक नीलामी धनराशि का पच्चीस प्रतिशत धनराशि अग्रिम रूप में जमा की जायेगी, जिसका समायोजन पट्टे के अन्तिम वर्ष में उपखनिज (सोपस्टोन को छोड़कर) निकासी मात्रा के सापेक्ष किया जायेगा। Performance guarantee जमा किये जाने के बाद आशय पत्र निर्गत किये जाने के समय जमा कराई गई धरोहर राशि (बैंक गारन्टी) अवमुक्त कर दी जायेगी। निदेशक द्वारा सात कार्य दिवसों के अनतर्गत पट्टाविलेख तैयार कर ऑनलाईन प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक को प्रेषित किया जा सकेगा, जिसकी सूचना जनपद एवं शासन के नामित नोडल अधिकारी को भी ऑनलाइन होगी। प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक द्वारा पट्टाविलेख प्रारूप को डाउनलोड कर हस्ताक्षरित प्रतियां संबंधित जिलाधिकारी को हस्ताक्षर किये जाने हेतु जनपदीय विभागीय अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी, विभागीय अधिकारी हस्ताक्षर के उपरान्त जिलाधिकारी को दो कार्य दिवसों के अन्तर्गत प्रस्तुत की जा सकेगी। जिलाधिकारी द्वारा आवश्यक रूप से सात कार्यदिवसों के अन्तर्गत पट्टाविलेख हस्ताक्षरित कर पट्टाधारक को उपलब्ध करायी जा सकेगी। (2) पट्टे की अवधि की सगणना आशय पत्र निर्गत होने की तिथि से की जायेगी। (3) यथास्थिति, जिलाधिकारी के द्वारा हस्ताक्षरित पट्टा विलेख को पट्टाधारक द्वारा उक्त पट्टा विलेख का सम्बन्धित जनपद में पंजीकृत कराकर हार्ड एवं स्कैन प्रति जनपदीय विभागीय अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी। जनपदीय विभागीय अधिकारी द्वारा स्कैन कॉपी निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग को प्रेषित करनी होगी तथा निदेशक द्वारा शासन को संसूचित किया जायेगा।

(दो) मूल नियमावली के नियम 29 के पश्चात एक नया नियम 29क निम्नवत अंतःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्–

29.क खनिज निकासी हेतु सामान्य अनुदेश :-

1- नदी तल उपखनिजों के रिक्त क्षेत्रों को खनिज की उपलब्धता, परिवहन मार्ग की स्थिति, क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूलता तथा सुरक्षित खनन के दृष्टिगत सतह से अधिकतम 1.5 मी0 की गहराई अथवा भू-जल स्तर, जो भी कम हो, तक खनिज की मात्रा का आंकलन/निर्धारण करते हुए क्षेत्र में खनन/चुगान किया जायेगा।

2- ई-निविदा सह ई-नीलामी द्वारा नदी तल उपखनिजों के एवं स्वस्थाने चट्टान (सोपस्टोन को छोड़कर) से निकलने वाली निर्माण सामग्री के चुगान/खनन पट्टा अधिकतम 05 वर्ष की अवधि के लिये स्वीकृत किये जायेंगे। स्वस्थानें प्रकृति के औद्योगिक उपखनिज (सोपस्टोन को छोड़कर) के खनन क्षेत्र, जिनका क्षेत्रफल 2.00 है0 से 5.00 है0 हेतु 10 वर्ष, 5.00 है0 से 10 है0 तक 15 वर्ष तथा 10 है0 से अधिक क्षेत्रफल हेतु 25 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत किये जायेंगे।

3- पट्टे की अवधि की गणना आशय पत्र जारी होने की तिथि से की जायेगी।

4- ई- निविदा सह ई-नीलामी में प्राप्त उच्चतम बोली की धनराशि प्रथम वर्ष हेतु पट्टा धनराशि होगी। ई-निविदा सह ई-नीलामी में प्राप्त उपखनिज (सोपस्टोन को छोड़कर) की कुल मात्रा व बोली की धनराशि के आधार पर उक्त खनन क्षेत्र के उपखनिज (सोपस्टोन को छोड़कर) की प्रतिटन देय धनराशि निर्धारित होगी।

5- खनन योजना व पर्यावरणीय अनुमति आदि में संबंधित क्षेत्र की खनिज मात्रा उच्चतम बोली से भिन्न होने की स्थिति में बिन्दु संख्या ख(4) के अनुसार आगणित प्रतिटन देय रायल्टी के द्वारा पट्टा धनराशि पट्टे हेतु आगणित की जायेगी।

6- खनन पट्टा के अनुवर्ती वर्षो में पिछले वर्ष की पट्टा धनराशि पर 10 प्रतिशत की वृद्धि कर उस वर्ष हेतु पट्टा धनराशि आगणित की जायेगी व बिन्दु ख (4) के अनुसार प्रतिटन रायल्टी धनराशि निर्धारित होगी।

7- नदी तल के क्षेत्र हेतु राज्य में रिक्त साधारण बालू, बजरी, बोल्डर के खनन/चुगान लॉटों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाता है :-

(एक) पर्वतीय क्षेत्र : पर्वतीय क्षेत्र के अन्तर्गत जिला उत्तरकाशी, चमोली, रूद्रप्रयाग, बागेश्वर पिथौरागढ, जिला टिहरी गढ़वाल (तहसील नरेन्द्रनगर व तहसील धनोल्टी का मैदानी भाग छोड़कर), पौड़ी गढ़वाल (तहसील कोटद्वार का

मैदानी भाग छोड़कर), अल्मोड़ा (सम्पूर्ण भाग), चम्पावत (तहसील पूर्णागिरी का मैदानी भाग छोड़कर) जिला नैनीताल (तहसील हल्द्वानी, कालाढूंगी, रामनगर का मैदानी क्षेत्र छोड़कर), जिला देहरादून (तहसील ऋषिकेश, डोईवाला, देहरादून, विकासनगर और कालसी का मैदानी क्षेत्र छोड़कर) सम्मिलित हैं।

(दो) मैदानी क्षेत्र : मैदानी क्षेत्र के अन्तर्गत जिला टिहरी गढ़वाल (तहसील नरेन्द्रनगर व धनोल्टी का मैदानी भाग), पौड़ी गढ़वाल (तहसील कोटद्वार का मैदानी भाग), चम्पावत (तहसील पूर्णागिरी का मैदानी भाग), जिला नैनीताल (तहसील हल्द्वानी, कालाढूंगी, रामनगर का मैदानी क्षेत्र), जिला देहरादून (तहसील ऋषिकेश, डोईवाला, देहरादून, विकासनगर और कालसी का मैदानी भाग), जिला हरिद्वार एवं जिला उधमसिंहनगर के सम्पूर्ण भाग सम्मलित हैं।

8- राज्य के नदी तल में साधारण बालू, बजरी, बोल्डर क्षेत्र तथा स्वस्थानें चट्टान युक्त रिक्त उपखनिज (सोपस्टोन को छोड़कर) क्षेत्रों की ई–निविदा सह ई–नीलामी की प्रकिया में 5.00 है0 तक क्षेत्रफल के खनन लाट जनपद के स्थायी निवासी या स्थायी निवासियों की समिति, जो कोआपरेटिव सोसाईटी एक्ट में पंजीकृत हो, 5.00 है0 से 50.00 है0 तक क्षेत्रफल के खनन लाट राज्य के स्थायी निवासी/स्थायी निवासियों की समिति जो कोआपरेटिव सोसाइटी ऐक्ट/कम्पनीय ऐक्ट अथवा पार्टनरशिप ऐक्ट एवं अन्य सुसंगत अधिनियमों के अन्तर्गत पंजीकृत हो तथा 50.00 है0 से अधिक क्षेत्रफल के खनन लाट भारतीय नागरिकों/कम्पनियों/फर्मों/सोसाइटी आदि को आवंटित किये जायेंगे।

9- नदी तल में उपलब्ध साधारण बालू, बजरी, बोल्डर हेतु उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 के प्रथम अनुसूची में निर्धारित रायल्टी की दर का 50 प्रतिशत पर्वतीय क्षेत्रों हेतु लागू होगी।

10- खनिजों की निकासी वार्षिक निर्धारित मात्रा के अनुसार अग्रिम मूल्य जमा कर ई–रवन्ना के माध्यम से की जायेगी। इस हेतु पट्टाधारक को भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के ई–रवन्ना वेब एप्लिकेशन पर आन लाईन पंजीकरण कराया जाना होगा।

11- खनन पट्टा क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाली निजी भूमि के भूस्वामी को उसकी भूमि के क्षेत्रफल पर अनुमत गहराई के सापेक्ष आगणित मात्रा पर प्रतिटन

निर्धारित नीलामी धनराशि से गुणाकर प्राप्त धनराशि का 10 प्रतिशत प्रतिपूर्ति के रूप में पट्टाधारक द्वारा देय होगा। किसी भी वाद की स्थिति में पट्टाधारक द्वारा प्रतिपूर्ति धनराशि निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई को पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी जिसका वितरण राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित किये जाने उपरान्त राजस्व विभाग के माध्यम से किया जायेगा व निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई को सूचित किया जायेगा।

12- खनिज निकासी हेतु उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 की प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट रायल्टी की दर के अतिरिक्त निम्न देयकों का भुगतान किया जाना होगा :-
(क) रिवर ट्रेनिंग शुल्क (रायल्टी का 15 प्रतिशत)
(ख) क्षतिपूर्ति (रायल्टी का 10 प्रतिशत)
(ग) विकास शुल्क एवं रोड शुल्क (रायल्टी का 15 प्रतिशत)

13- पट्टाधारक द्वारा राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित कर एवं शुल्क यथा आयकर विभाग का टी0सी0एस0, जिला खनिज फाउण्डेशन (DMF) शुल्क आदि नियमानुसार जमा किया जायेगा।

14- खनिजों की निकासी निदेशक द्वारा निर्धारित वार्षिक मात्रा के अनुसार अग्रिम मूल्य जमा कर ई-रवन्ना के माध्यम से की जायेगी।

15- पट्टाधारक द्वारा 01 वर्ष की निर्धारित मात्रा समय से पूर्व ही निकासी किये जाने की दशा में उक्त वर्ष में अग्रेत्तर कार्यवाही स्थगित रहेगी।

16- पट्टा धारक स्वीकृत चुगान/खनन पट्टा के निकासी गेट पर स्वयं के व्यय से कम्प्यूटराइज्ड धर्मकांटा एवं वाहनों के प्रदेश व निकासी पर निगरानी के लिए स्वयं के व्यय पर 360 डिग्री कोण पर दृश्यता रिकार्डिंग के योग्य बार सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाने सहित चेक पोस्ट/गेट का निर्माण करेगा। पट्टाधारक उक्त चेक पोस्ट/गेट पर आर0एफ0आई0डी0 स्कैनर भी रखेगा, जिससे संबंधित खनन पट्टा क्षेत्र से उपखनिजों के परिवहन हेतु प्रयुक्त प्रत्येक यान के सापेक्ष निर्गत किये गये ई-प्रपत्र एम0एम0-11 पर अंकित बार कोड का डाटा पढ़ने और सुरक्षित रखनें की सुविधा होगी और उसका समुचित रूप से रख रखाव करेगा एंव सदैव उसे चालू रूप में अनुरक्षित रखेगा। पट्टाधारक उक्त सी0सी0टी0वी0 कैमरे और आर0एफ0आई0डी0

स्कैनरों द्वारा की गयी समस्त रिकर्डिंग को कम से कम 30 दिनों तक सुरक्षित रखेगा और नियम 66 के उपबन्धों के अधीन प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा रिकार्ड मांगे जाने पर उक्त रिकार्डिंग को उपलब्ध करायेगा।

17- पट्टाधारक प्रत्येक वाहन को ई–एम0एम0–11 सही विवरण सहित जारी करेगा। प्रत्येक वाहनों को निर्गत ई–एम0एम0–11 पर जनित बार कोड को चेक गेट पर पढ़ने तथा दर्ज डाटा सेव करने के लिए आर0एफ0आई0डी0 स्कैनर लगायेगा तथा सदैव उसका अनुरक्षण करेगा और उन्हे सही एंव चालू दशा में रखेगा। उक्त का अनुपालन न करने की दशा में नियमावली, 2001 के नियम 59 के अन्तर्गत शास्ति का भागीदार होगा।

18- नदी तल उपखनिज क्षेत्रों में जे0सी0बी0, पोकलैण्ड सक्शन मशीन, लिफ्टर आदि मशीनों द्वारा खनन/चुगान कार्य नहीं किया जायेगा।

19- स्वीकृत क्षेत्र के निकासी गेट पर पट्टाधारक का नाम व पता, पट्टाधारक का संपर्क/दूरभाष नं0, स्वीकृत क्षेत्रफल, स्वीकृत मात्रा, पट्टे की अवधि तथा खनिजों का विक्रय मूल्य प्रदर्शित करेगा।

20- पट्टाधारक पर्यावरणीय अनुमति (Environmental Clearance) एवं अनुमोदित खनन योजना में दी गयी शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही खनन संक्रिया सम्पादित करेगा।

21- स्वीकृत खनिज क्षेत्र से खनिज निकासी किये जाने से पूर्व उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से Consent to establish एवं Consent to operate प्राप्त किया जाना अपरिहार्य होगा।

22- ई–निविदा सह ई–नीलामी द्वारा उपखनिज (सोपस्टोन को छोड़कर) खनन पट्टा स्वीकृति की उपरोक्त प्रकिया के कियान्वयन के संबंध में बोलीदाता के असंतुष्ट होने की दशा में ऐसे बोलीदाता द्वारा अपील शुल्क रू0 5,000.00 का भुगतान विभागीय पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से जमा करा कर शासन में अपील की जा सकेगी।

23- पट्टाधारक द्वारा खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम, 1957 (समय–समय पर यथासंशोधित), उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 (समय–समय पर यथासंशोधित), मा0 न्यायालयों एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण तथा शासन द्वारा समय–समय पर जारी शासनादेशों/दिशा निर्देशों तथा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा जारी निर्देशों का

अनुपालन सुनिश्चित किया जाना होगा।

24- ई निविदा सह ई–नीलामी प्रक्रिया के दौरान ऐसा प्रकरण जिसका उल्लेख इस शासनादेश में वर्णित किया जाना रह गया हो अथवा पूर्णतः स्पष्ट न किया जा सका हो ऐसे प्रकरणों पर निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, को अन्तिम निर्णय लेने हेतु प्राधिकृत किया जाता है। निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई तत्सम्बन्धी अन्य शासनादेशों/अनुदेशों का अनुसरण कर व्याख्यापित करते हुये निर्णय दे सकेगा, निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई का निर्णय अन्तिम होगा एवं सर्व पक्षों को मान्य होगा।

नियम 30 का संशोधन 9 मूल नियमावली के नियम 30 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
30. पट्टा का रजिस्टर : खनन पट्टों का एक रजिस्टर जिला अधिकारी के कार्यालय में प्रपत्र एम0एम0–7 में रखा जायेगा और उसकी एक प्रतिलिपि जिलाधिकारी द्वारा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड को भेजी जायेगी।	30. पट्टा का रजिस्टर : खनन पट्टों का एक रजिस्टर जिला अधिकारी एवं जिला खान अधिकारी के कार्यालय में प्रपत्र एम0एम0 7 में रखा जायेगा और उसकी एक प्रतिलिपि जिला खान अधिकारी द्वारा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड को भेजी जायेगी।

आज्ञा से,

(अनिन्द्य वर्धन)
प्रमुख सचिव

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–1
संख्याः 658 / VII-1 / 2018 / 80ख / 16टीसी
देहरादूनःदिनांकः 16 मार्च, 2018

अधिसूचना

अधिसूचना संख्या–1875 / VII-1 / 16 / 158–ख / 04टीसी, दिनांक 9 दिसम्बर, 2016 द्वारा उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2001 (मूल नियमावली) के वर्तमान नियम–70 के उप नियम–(7) के उपरान्त नियम–70 में उपनियम–(10) का अतिरिक्त प्रावधान किया गया था, को निम्नवत् संशोधित / विलोपित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

नियम–70 (10) का संशोधन :–
उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001(मूल नियमावली) में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम–70(10) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख जायेगा, अर्थात्

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम –विलोपित–
नदी तल से निकासी किये गये आर०बी०एम० (बालू, बजरी एवं बोल्डर) का राज्य से बाहर परिवहन / निर्यात पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा तथा उक्त के राज्य से बाहर परिवहन हेतु ई–फार्म एम०एम०–11 (ओ / एस) निर्गत नहीं किये जायेंगे, परन्तु क्रशड सामग्री (Crushed material) का परिवहन / निर्यात राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन किया जा सकेगा। राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं एवं विशेष परिस्थितियों में शासन की अनुमति के उपरान्त आर०बी०एम० (बालू, बजरी एवं बोल्डर) का राज्य से बाहर परिवहन / निर्यात की अनुमति होगी, जिसके लिए ई–फार्म एम०एम०–11 (ओ / एस) निर्गत किये जायेंगे।	

आज्ञा से,
(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1
संख्याः 334 /VII-A-1/2020/5(15)/19
देहरादून, दिनांकः 04 ~~फरवरी~~ मार्च, 2020

अधिसूचना

राज्यपाल, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (अधिनियम संख्या 67 वर्ष 1957) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड उप–खनिज (परिहार) नियमावली, 2001 में अगेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, अर्थात:–

उत्तराखण्ड उप–खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2020

संक्षिप्त नाम, प्रसार तथा प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड उप–खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2020 है।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य पर होगा।
(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 11 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) नियमावली, 2001, जिसे यहां आगे मूल नियमावली कहा गया है, के नियम 11 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

"11. **पट्टे पर दिये जाने वाले क्षेत्र की लम्बाई और चौड़ाई एवं खनन/चुगान हेतु अनुमत गहराई:**
खनन पट्टे के अधीन किसी क्षेत्र की लम्बाई साधारणतया उसकी चौड़ाई के चार गुना से अधिक न हो तथा उप–खनिज का खनन/चुगान अधिकतम 3.0 मी० (तीन मीटर) की गहराई या Underground Water Lable जो भी न्यून हो तक किया जायेगा।"

नियम 29.क का संशोधन

3. मूल नियमावली के नियम 29.क के उपनियम 1–के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

"1. खनन पट्टे के अधीन किसी क्षेत्र की लम्बाई साधारणतया उसकी चौड़ाई के चार गुना से अधिक न हो तथा उप–खनिज का खनन/चुगान अधिकतम 3.0 मी० (तीन मीटर) की गहराई या Underground Water Lable जो भी न्यून हो तक किया जायेगा।"

आज्ञा से,
(ओम प्रकाश)
अपर मुख्य सचिव

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1
संख्याः 470 / VII-A-1 / 2020 / 31ख / 17टीसी
देहरादून, दिनांकः 05 मई, 2020

अधिसूचना

राज्यपाल, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (अधिनियम संख्या 67 वर्ष 1957) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड उप–खनिज (परिहार) नियमावली, 2001 में निम्नवत् संशोधन किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) नियमवली, 2001 के नियम 23 के उप नियम (1) में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद् द्वारा प्रतिस्थापित नियम
23. नीलाम/निविदा/नीलाम एवं निविदा/ ई–नीलाम/ई–निविदा/ई–निविदा एवं सह ई–नीलामी पट्टा के लिए क्षेत्र की घोषणा:	23.नीलाम/निविदा/नीलाम एवं निविदा/ई–नीलाम /ई–निविदा/ई–निविदा एवं सह ई–नीलामी पट्टा के लिए क्षेत्र की घोषणा
(1) राज्य सरकार या निदेशक सामान्य अथवा विशिष्ट आदेश द्वारा ऐसी किसी क्षेत्र अथवा क्षेत्रों की, जिसे या जिन्हें नीलाम करके निविदा द्वारा या नीलाम एवं निविदा एवं ई–नीलाम/ ई–निविदा/ई–निविदा एवं सह ई–नीलामी पट्टे पर दिया जा सकेगा, घोषणा कर सकेगी।	(1)राज्य सरकार या निदेशक सामान्य अथवा विशिष्ट आदेश द्वारा ऐसे किसी राजस्व एवं वन क्षेत्र अथवा क्षेत्रों की, जिसे या जिन्हें नीलाम करके निविदा द्वारा या नीलाम एवं निविदा एवं ई–नीलाम/ ई–निविदा/ ई–निविदा सह ई–नीलामी पट्टे पर दिया जा सकेगा, घोषणा कर सकेगी। 1(क)नदी तल से लगी निजी नाप भूमि में उपलब्ध उपखनिज के खनन/चुगान के पट्टों का आवंटन पूर्ववत् नियमावली के अध्याय–2 के नियमानुसार किया जायेगा।

आज्ञा से,
(ओम प्रकाश)
अपर मुख्य सचिव

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1
संख्याः 670/VII-A-1/2020/5(11)/20
देहरादून, दिनांकः 09 जून, 2020

अधिसूचना

राज्यपाल, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (अधिनियम संख्या 67 वर्ष 1957) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड उप–खनिज (परिहार) नियमावली, 2001 में अगेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, अर्थातः–

उत्तराखण्ड उप–खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2020

संक्षिप्त नाम, प्रसार तथा प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड उप–खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2020 है।

(2) यह दिनांक 07.05.2020 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

नियम 29.क का संशोधन

3. मूल नियमावली के नियम 29.क के उपनियम 18–के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

"18. नदी तल उपखनिज क्षेत्रों में जे0सी0बी0, पोकलैण्ड सक्शन मशीन, लिफ्टर आदि मशीनों द्वारा खनन/चुगान कार्य नहीं किया जायेगा;
परन्तु वर्तमान में कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण के कारण अत्यन्त विषम परिस्थिति में चुगान कार्य हेतु पर्याप्त मात्रा में श्रमिक उपलब्ध न होने, श्रमिकों को अधिक मात्रा में Mobilize किये जाने से कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण को फैलने से रोकने आदि के दृष्टिगत राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रदत्त सशर्त सहमति के क्रम में 100 है० तक के नदी तल उपखनिज क्षेत्र, जिनमें पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त है, उन नदी तल क्षेत्र से उपखनिज के खनन/चुगान हेतु चुगान क्षेत्र के स्थान, उपखनिज की मोटाई, निक्षेपित होने वाली उपखनिज की मात्रा को देखते हुए Light semi mechanized तरीके से दिनांक 15 जून, 2020 तक चुगान किये जाने की अनुमति होगी, प्रतिबन्ध यह कि यह परन्तुक दिनांक 07.05.2020 से दिनांक 15.06.2020 तक ही प्रवृत्त एवं प्रभावी होगा।"

आज्ञा से,
(ओम प्रकाश)
अपर मुख्य सचिव

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1
संख्या:1824/VII-A-1/2021/80–ख/16
देहरादून, दिनांक: 28 अक्टूबर, 2021

अधिसूचना

राज्यपाल, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (अधिनियम संख्या 97 वर्ष 1957) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड उप–खनिज (परिहार) नियमावली, 2001 में अग्रेत्तर संशोधन करने के दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाने सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

उत्तराखण्ड उप–खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2021

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड उप–खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2021 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 3 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड उप–खनिज (परिहार) नियमावली, 2001 के नियम 3 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये अतिरिक्त प्रावधान के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया अतिरिक्त प्रावधान रख दिया जायेगा, अर्थात:–

स्तम्भ–1 विद्यमान प्रावधान	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्रावधान
उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्र एवं मैदानी क्षेत्रों में स्वयं की निजी नापभूमि में स्थल विकास करने के उद्देश्य से पहाड़ी के कटान, बेसमेंट की खुदाई अथवा भूमि के समतलीकरण किये जाने पर निकलने वाली साधारण मिट्टी को उसी निजी नापभूमि के प्लाट या अपने ही किसी अन्यत्र भूखण्ड (प्लाट) पर ले जाता है तो वह खनन की श्रेणी में नहीं आयेगा, और इस प्रकार उक्त के सम्बन्ध में ई0आई0ए0 की बाध्यता नहीं होगी, इस हेतु जे0सी0बी0 का प्रयोग किया जा सकता है तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह प्रक्रिया केवल स्वयं के निजी नाप भूमि के प्रयोजन हेतु निकलने वाली साधारण मिट्टी पर ही लागू होगी। अन्य खनन संक्रियाओं पर यह लागू नहीं होगी। यदि उपरोक्तानुसार निजी भूमि के भूखण्ड (प्लाट) से साधारण मिट्टी किसी अन्यत्र स्थान पर व्यवसायिक उपयोग हेतु परिवहन की जाती है, तो उक्त व्यक्ति को नियमावली की प्रथम अनुसूची में तत्समय विनिर्दिष्ट दरों पर रायल्टी का भुगतान करना होगा। **स्पष्टीकरण** उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों में भवन निर्माण हेतु भवनों के बेसमेन्ट से निकलने वाली साधारण मिट्टी एवं वेस्ट मैटेरियल को रखने की व्यवस्था यदि भवन स्वामी के पास नहीं है और वह उसका व्यवसायिक उपयोग नहीं करता है तो उसे रखने हेतु स्थानीय प्रशासन की अनुमति से संबंधित तहसील के तहसीलदार द्वारा घोषित डम्पिंग जोन में	उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्र एवं मैदानी क्षेत्रों में स्वयं की निजी नापभूमि में स्थल विकास करने के उद्देश्य से पहाड़ी के कटान, बेसमेंट की खुदाई अथवा भूमि के समतलीकरण किये जाने पर निकलने वाली साधारण मिट्टी को उसी निजी नापभूमि के प्लाट या अपने ही किसी अन्यत्र भूखण्ड (प्लाट) पर ले जाता है तो वह खनन की श्रेणी में नहीं आयेगा और इस प्रकार उक्त के सम्बन्ध में ई0आई0ए0 की बाध्यता नहीं होगी, इस हेतु जे0सी0बी0 का प्रयोग किया जा सकता है तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह प्रक्रिया केवल स्वयं के निजी नाप भूमि के प्रयोजन हेतु निकलने वाली साधारण मिट्टी पर ही लागू होगी। अन्य खनन संक्रियाओं पर यह लागू नहीं होगी। यदि उपरोक्तानुसार निजी भूमि के भूखण्ड (प्लाट) से साधारण मिट्टी किसी अन्यत्र स्थान पर व्यवसायिक उपयोग हेतु परिवहन की जाती है, तो उक्त व्यक्ति को नियमावली की प्रथम अनुसूची में तत्समय विनिर्दिष्ट दरों पर रायल्टी का भुगतान करना होगा। **स्पष्टीकरण** उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों में भवन निर्माण हेतु भवनों के बेसमेन्ट से निकलने वाली साधारण मिट्टी एवं वेस्ट मैटेरियल को रखने की व्यवस्था यदि भवन स्वामी के पास नहीं है और वह उसका व्यवसायिक उपयोग नहीं करता है तो उसे रखने हेतु स्थानीय प्रशासन की अनुमति से संबंधित तहसील के तहसीलदार द्वारा घोषित डम्पिंग जोन में

Scanned with CamScanner

संरक्षित किया जायेगा, जिसका उपयोग भविष्य में मैदान/हैलीपैड आदि बनाने में उपयोग किया जायेगा। यह प्रकिया केवल स्वयं के भवन निर्माण के प्रयोजन हेतु निकलने वाली साधारण मिट्टी एवं वेस्ट मैटेरियल पर ही लागू होगी, इस हेतु रायल्टी में छूट प्रदान की जाती है। डम्पिंग जोन के अतिरिक्त साधारण मिट्टी एवं वेस्ट मैटेरियल का अन्यत्र भरान हेतु उपयोग किये जाने पर उपयोगकर्ता द्वारा साधारण मिट्टी की रायल्टी देय होगी।	संरक्षित किया जायेगा, जिसका उपयोग भविष्य में मैदान/हैलीपैड आदि बनाने में उपयोग किया जायेगा। यह प्रकिया केवल स्वयं के भवन निर्माण के प्रयोजन हेतु निकलने वाली साधारण मिट्टी एवं वेस्ट मैटेरियल पर ही लागू होगी, इस हेतु रायल्टी में छूट प्रदान की जाती है। डम्पिंग जोन के अतिरिक्त साधारण मिट्टी एवं वेस्ट मैटेरियल का अन्यत्र भरान हेतु उपयोग किये जाने पर उपयोगकर्ता द्वारा साधारण मिट्टी की रायल्टी देय होगी। अतिरिक्त प्रावधान :– पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं० 1088, दिनांक 28.03.2020 के परिशिष्ट–9 के बिन्दु सं० 3 एवं बिन्दु सं० 13 के प्रावधानान्तर्गत नदी/सहायक नदी/गदेरों के तल से लगी एवं उक्त से भिन्न निजी नाप भूमि के समतलीकरण, वाटर स्टोरेज टैंक, रिसाईक्लिंग टैंक, मत्स्य तालाब आदि निर्माण क्रियाकलाप को गैर खननकारी क्रियाकलाप के रूप में घोषित करते हुए उक्त गैर खननकारी क्रियाकलाप हेतु पर्यावरणीय अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। उक्त के अतिरिक्त ईंट मिट्टी एवं सड़क भरान हेतु साधारण मिट्टी को निकालने की क्रिया खनन संक्रियाओं के अन्तर्गत नहीं आयेगी, जब तक कि खनन स्थल की गहराई 02 मीटर से अधिक न हो। इन क्रियाकलापों से निकासी किये गये उपखनिज यथा बालू, बजरी, बोल्डर, मिट्टी, मक आदि की निकासी पर नियमानुसार रायल्टी एवं अन्य शुल्क देय होंगे। इस हेतु उत्तराखण्ड उप–खनिज (परिहार) नियमावली 2001 (समय–समय पर यथासंशोधित) के अन्तर्गत आवेदन जिला खान अधिकारी/निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा तथा उपजिलाधिकारी एवं जिला खान अधिकारी की गठित समिति द्वारा स्थलीय संयुक्त निरीक्षण आख्या जिला खान

Scanned with CamScanner

	अधिकारी द्वारा महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई को प्रस्तुत की जायेगी तथा महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति पर शासन द्वारा अनुज्ञा अधिकतम 06 माह की अवधि हेतु स्वीकृत की जायेगी।

आज्ञा से,

(आर० मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव

CS Scanned with CamScanner